केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–437)

# उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) का मूल्यांकन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

# अनुक्रमणिका


| अध्याय | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | निष्पादक संक्षेप | i - x |
| प्रथम | अध्ययन परिचय | 1–12 |
| द्वितीय | प्रगति समीक्षा | 13–20 |
| तृतीय | अध्ययन परिणाम | 21–42 |
| चतुर्थ | कमियाँ एवं सुझाव | 43–46 |


*****

# उद्‌बोधन

केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विकासीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति/जनजातियों के पिछड़ेपन में निरन्तर सुधार हुआ है। शिक्षा का विस्तार किया जाकर व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजातियों के पात्र विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि निर्बाध रूप से शिक्षा पूर्ण हो सके। योजनान्तर्गत राजकीय/निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क, आवास, पोशाक, पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं की उपयोगिता एवं योजना के विस्तार बाबत् प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

अध्ययन निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास में सहायक एवं उपयोगी रही है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझावों का समावेश किया गया है। आशा है कि योजना के प्रभावी संचालन हेतु प्रतिवेदन उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होगा।

माह – जनवरी, 2010
स्थान– जयपुर

**( देवेन्द्र भूषण गुप्ता )**
**प्रमुख शासन सचिव**
**आयोजना विभाग**

# आमुख

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पात्र छात्र–छात्राएँ जो राजकीय/निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निर्बाध रूप से शिक्षा पूर्ण करने हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई है।

योजनान्तर्गत पात्र छात्र–छात्राओं को शिक्षण शुल्क, आवास, यूनीफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री हेतु उपलब्ध करवायी गयी छात्रवृत्ति राशि की उपयोगिता जानने हेतु न्यादर्श आधार पर राज्य के 7 जिलों के चयनित उत्तरदाताओं से योजना की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। अवधि वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक 21436.22 लाख रूपये व्यय कर 717505 छात्र– छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

योजना क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयाँ यथा– विद्यालय/महाविद्यालयों को राशि आवंटन में विलम्ब, छात्रवृत्ति वितरण में विलम्ब आदि पायी गयी है, फिर भी सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि योजनान्तर्गत लक्षित समूह के छात्र–छात्राओं को वितरित आर्थिक सहायता उपयोगी रही है।

प्रतिवेदन में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यथास्थान व्यावहारिक सुझाव दिये गये हैं। आशा करता हूँ, वर्णित सुझाव योजना को प्रभावी एवं उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

दिनांक : जनवरी, 2010
स्थान : जयपुर।

**(देवानन्द)**
**निदेशक एवं पदेन उप सचिव**

# उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति–जनजाति) योजना का मूल्यांकन

## निष्पादक संक्षेप

I. **प्रस्तावना** :

योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाने के प्रावधान हैं ताकि उत्तर मैट्रिक स्तर की शिक्षा पूर्ण कर सकें। शैक्षणिक विकास के उद्धेश्य से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई।

II. **पात्रता की शर्ते :**

अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के भारतीय नागरिक को, जो राजस्थान के निवासी हो,के अध्ययनरत बच्चों को देय है।

सभी मान्यता प्राप्त उत्तर मैट्रिक विद्यालयों एवं संस्थानों के उत्तर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को दी जावेगी।

ऐसे छात्र जो दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् अन्य पाठ्यक्रमों में शामिल होते है उन छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्र माना जायेगा और वे छात्रवृति के पात्र होगे।

चिकित्सा शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगें यदि उन्हें अध्ययन काल में प्रेक्टिस करने की अनुमति न हो।

कला/वाणिज्य/विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्र यदि किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री विषयों में अध्ययन प्रारम्भ करता है तो उसे छात्रवृत्ति देय होगी यदि अन्य शर्ते पूरी करता है।

पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ने वाले छात्र भी छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं , पत्राचार पाठ्यक्रम में दूरस्थ एवं सतत् शिक्षा भी शामिल है।

रोजगाररत छात्र जिनकी स्वयं की आय और उनके माता पिता/सरंक्षक की आय निर्धारित आय सीमा से अधिक नही है, वे भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

एक माता पिता/अभिभावक के सभी बच्चे इस योजना के लाभ के हकदार होगें।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का छात्रवृत्ति धारक, कोई अन्य छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए छात्र को अपना विकल्प देना होगा कि दोनों में से कौनसी छात्रवृत्ति या भत्ता उसके लिए अधिक लाभकारी है।

III. **छात्रवृत्ति राशि :**

भारत सरकार द्वारा जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार 10 जमा 2 योजना एवं कालेज स्तर पर यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना में छात्रवृत्ति राशि के अलावा अन्य शिक्षा व्यय जैसे फीस आदि का पुनर्भरण, शैक्षणिक भ्रमण, थीसिस टंकण, पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता, विशिष्ठ पाठ्यक्रमों के लिए बुक बैंक सुविधा भी उपलब्ध है, जो पाठ्यक्रम पूरा होने तक जारी रहेगी,

IV. **शैक्षणिक भ्रमण :**

व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु 1000/– रूपये प्रतिवर्ष या परिवहन पर वास्तविक व्यय दिया जावेगा, बशर्ते कि संस्था प्रधान इस आशय का प्रमाण पत्र देवें कि इस पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक भ्रमण आवश्यक है।

V. **शोध ग्रन्थ (थीसिस) टंकण/मुद्रण व्यय :**

संस्था प्रधान की अनुशंषा पर शोध छात्रों को अधिकतम 1000/– रूपये तक राशि शोध ग्रन्थ टंकण एवं मुद्रण हेतु देय होगी।

VI. **बुक बैंक सुविधा :**

समस्त चिकित्सा, अभियान्त्रिकी, कृषि, विधि और पशु चिकित्सा स्नातक महाविद्यालयों और चार्टेड अकाउटेंसी, व्यावसायिक प्रबन्धन एवं तत्संबंधी प्रबन्धन पाठ्यक्रमों और पॉलिटैक्निक जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहें है, उन्हें बुक बैंक की सुविधा दी जायेगी।

VII. **बजट आवंटन, छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण हेतु दिशा निर्देश :**

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में राज्य में छात्रवृत्ति हेतु बजट आवंटन, स्वीकृति एवं वितरण हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार प्रेषित है।

योजनान्तर्गत राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राज्य आयोजना मद में नवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक) हेतु 1938.80 लाख रूपये प्रतिवर्ष की दर से बजट आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना के समस्त दायित्व " केन्द्रीय अर्थ प्रवर्तित योजना " से राज्य को प्राप्त निधियों से वहन किये जाते हैं ।

उत्तर मैट्रिक स्तर की कक्षा 11 व 12 में राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु बजट आवंटन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय जयपुर के माध्यम से किया जाता है।

नवीन छात्रवृत्ति के संबंध में भुगतान का प्रथम वितरण अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अथवा स्वीकृति पारित से दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिये। नवीनीकरण के मामलों में दिवसीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पूरे वर्ष की तथा छात्रावासी छात्रों के लिए 10 माह की छात्रवृत्ति देय होगी।

## VIII. अध्ययन की आवश्यकता :

माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन निम्न उद्धेश्यों को आधार मानकर किया गया है।

## IX. अध्ययन के उद्देश्य :

1. योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।
2. लाभान्वितों की पात्रता का आंकलन करना।
3. लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी छात्रवृत्ति की वास्तविक स्थिति को ज्ञात करना।
4. योजनान्तर्गत राशि की उपलब्धता, पर्याप्तता एवं वितरण की समयावधि का आंकलन करना।
5. योजना के संचालन में अनुभूत की जा रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निवारण हेतु उपयुक्त सुझाव देना।

## X. न्यादर्श परिकल्पना :

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मूल्यांकन करने हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति का उपयोग करते हुए प्रथम स्तर पर 32 जिलों को संभागवार अंग्रेजी वर्णानुकुल में रख कर साधारण न्यादर्श प्रणाली द्वारा प्रत्येक संभाग से एक जिले का चयन किया गया है। जिनमें क्रमशः अजमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, जैसलमेर, बूंदी तथा राजसमन्द है।

द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से 2–2 महाविद्यालय एवं विद्यालयों का चयन किया गया है। जिनमें अधिकतम लाभार्थियों वाले 1–1 महाविद्यालय एवं विद्यालय राजकीय तथा 1–1 महाविद्यालय एवं विद्यालय गैर राजकीय चयनित किये गये हैं।

तृतीय स्तर पर प्रत्येक महाविद्यालय/विद्यालय से साधारण न्यादर्श प्रणाली से वर्ष 2006–07 में अध्ययनरत 10 अनुसूचित जाति के एवं 10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों का चयन कर अनुसूचियाँ भरी गयी हैं। छात्रों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि छात्र डेस्कालर और छात्रावासी दोनों में से हो और उनमें 50% अनुसूचियाँ छात्राओं से, छात्राओं की अनुपलब्धता में निर्धारित संख्या में अनुसूचियाँ छात्रों से ही भर ली गयी है।

## XI. संदर्भ अवधि :

प्रलेख सूचनाएं अवधि वर्ष 2003–04 से 2006–07 की अवधि की तथा कार्यकारी अनुसूची,लाभार्थी अनुसूची एवं अवलोकन टिप्पणी सर्वेक्षण तिथी से सम्बन्धित है।

## XII. वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

सन्दर्भित चारों वर्षों (2003–04 से 2006–07) में राज्य योजना एवं केन्द्रीय सहायता द्वारा राजकीय/निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को कुल 24836 लाख रूपये की आवंटित राशि के विपरीत 21436.22 (86.3 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का उपयोग किया जाना पाया गया। कुल आवंटित 24836 लाख रूपये में से 7871 (31.7 प्रतिशत) लाख रूपये राज्य योजना मद से एवं 16965 (68.3 प्रतिशत) लाख रूपये केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जाने पाये गये।

महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में कक्षा 11, 12 हेतु वर्ष 2006–07 में अधिकतम 249730 एवं 2005–06 में न्यूनतम 114093 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना पाया गया एवं वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में क्रमशः 170444 एवं 183238 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

योजनान्तर्गत चयनित 7 जिलों में संदर्भित चारों वर्षों (2003–04 से 2006–07) तक केन्द्रीय प्रवर्तित एवं राज्य योजना मद से राजकीय/ निजी विद्यालयों को कुल 385.14 लाख रूपये स्वीकृत किये गये एवं 330.32 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 295.71 (89.5 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये।

राजकीय/निजी महाविद्यालय एवं संस्थानों को 2028.28 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 1910.45 (94.2 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये।

## XIII. लाभान्वितों की प्रगति समीक्षा :

चयनित 7 जिलों में राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के अधिकतम 12210 विद्यार्थियों को वर्ष 2004–05 में एवं न्यूनतम 8365 विद्यार्थियों को वर्ष 2005–06 में लाभान्वित किया गया जबकि वर्ष 2003–04 एवं 2006–07 में क्रमशः 10691 एवं 9923 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना पाया गया।

राजकीय/निजी महाविद्यालयों में सर्वाधिक 13716 विद्यार्थियों को वर्ष 2006–07 एवं सबसे कम 9995 विद्यार्थियों को वर्ष 2003–04 में लाभान्वित किया गया, जबकि वर्ष 2004–05 में 11835 एवं 2005–06 में 10897 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना पाया गया।

## XIV. जिलेवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के चयनित लाभार्थियों की संख्या

चयनित 7 जिलों में विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर चयनित 406 लाभार्थियों में से 268 (66.0 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जाति एवं 138(34.0 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जनजाति के चयनित किये गये।

## XV. चयनित जिलों में कुल लाभान्वितों में छात्रों की सहभागिता :

चयनित 7 जिलों में राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में वर्ष 2003–04 में कुल लाभान्वित 10691 में से 2407 (22.5 प्रतिशत) छात्राओं को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2004–05 में कुल लाभान्वित 12210 में से 2949(24.2 प्रतिशत), वर्ष 2005–06 में कुल लाभान्वित 8365 में से 2153(25.7 प्रतिशत) छात्राओं को एवं वर्ष 2006–07 में 9923 लाभान्वितों में से 2437(24.6 प्रतिशत) छात्रा लाभान्वित हुयी।

राजकीय/निजी महाविद्यालयों में वर्ष 2003–04 में 9925 लाभान्वितों में से 1945(19.6 प्रतिशत) छात्राओं को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2004–05 में 11835 कुल लाभान्वितों में से 2505 (21.2 प्रतिशत) वर्ष 2005–06 में 10897 में से 2918 (26.8 प्रतिशत) एवं 2006–07 में कुल लाभान्वित 13958 विद्यार्थियों में से 3459 (24.2 प्रतिशत) छात्राओं को लाभान्वित किया जाना पाया गया।

## XVI.अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय का विवरण

कुल 406 लाभार्थियों में से 116(28.6 प्रतिशत) लाभार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 25000 से कम, 183(45.1 प्रतिशत) की 25000 से 50000, 66(16.3 प्रतिशत) की 50000 से 75000, 41(10.1 प्रतिशत) की 75000 से 100000 रूपये पाई गई। 90 प्रतिशत पात्र विद्यार्थियों के परिवारों की वार्षिक आय रूपये 75000 रूपये से कम थी। अतः योजना का लाभ जरूरतमन्द विद्यार्थियों को प्रसारित किया गया, अध्ययन में पाया गया।

## XVII. छात्रावास सुविधा :

विद्यालय स्तर पर चयनित 180 लाभार्थियों में 178 (98.8 प्रतिशत) लाभार्थी डेस्कालर तथा शेष 2 (1.2 प्रतिशत) लाभार्थी छात्रावासी पाये गये।

महाविद्यालय स्तर पर अध्ययन हेतु चयनित 7 जिलों के 226 लाभार्थियों में से 164(72.6 प्रतिशत) डेस्कालर एवं शेष 62(27.4 प्रतिशत) छात्रावासी पाये गये।

XVIII. **छात्रवृत्ति फॉर्म उपलब्धता एवं जमा कराने में समयान्तराल** :

राजकीय/निजी विद्यालय एवं महाविद्यालयों के सभी चयनित 180 लाभार्थियों में से 54 (30 प्रतिशत) लाभार्थियों ने जिस माह फॉर्म प्राप्त हुए उसी माह अर्थात 1 माह से भी कम समय में छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करवा दिया जाना अवगत कराया। अधिकतम 92 (51.1 प्रतिशत) ने फॉर्म प्राप्ति के 1 माह बाद एवं शेष 34(18.9 प्रतिशत) ने फॉर्म प्राप्ति के 2 माह बाद छात्रवृत्ति फॉर्म जमा कराना अवगत कराया।

राजकीय/निजी महाविद्यालय स्तर पर चयनित 226 लाभार्थियों में से 93(41.2 प्रतिशत) ने फॉर्म प्राप्ति के एक माह से कम, 102 (45.1 प्रतिशत) ने एक माह एवं शेष 31 (13.7 प्रतिशत) ने 2 माह की अवधि में फॉर्म जमा करवाना अवगत कराया।

XIX. **आवेदन फॉर्म जमा कराने एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति में समयान्तराल** :

विद्यालय स्तर पर चयनित 180 लाभार्थियों में से 116 (65 प्रतिशत) एवं महाविद्यालय स्तर के 226 लाभार्थियों में से 110(49 प्रतिशत) ने सत्रावसान के आसपास अर्थात लगभग आवेदन के 6 से 9 माह बाद छात्रवृत्ति वितरित करना अवगत कराया। छात्रवृत्ति वितरण करने में समयान्तराल को कम किया जाना योजना की उपयोगिता के लिए वांछित है।

XX. **राजकीय/निजी विद्यालयों के दिवसीय लाभार्थी को प्राप्त छात्रवृत्ति राशि** :

राजकीय विद्यालय में प्रतिवर्ष प्रति छात्र औसतन 751 रूपये जो कि 378 रूपये से 1170 रूपये की सीमा एवं निजी विद्यालयों में औसतन 745 रूपये जो कि 460 रूपये से 1120 रूपये की सीमा में छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई है, जो निर्धारित मानदण्ड से राजकीय विद्यालयों में 1022 रूपये से 230 रूपये एवं निजी विद्यालयों में 940 रूपये से 280 रूपये की सीमा तक कम राशि वितरित किया जाना पाया गया।

राजकीय महाविद्यालयों के दिवसीय लाभार्थियों को निर्धारित मानदण्ड से 730 से 5 की सीमा में एवं छात्रावासी लाभार्थी को 1150 से 300 की सीमा में कम छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई है।

निजी महाविद्यालयों के दिवसीय लाभार्थी को निर्धारित मानदण्ड से 730 से 5 की सीमा में एवं छात्रावासी लाभार्थी को 2150 से 38 की सीमा में कम छात्रवृत्ति दिया जाना पाया गया।

योजना के प्रावधानानुसार निर्धारित मानदण्डानुसार छात्रवृत्ति राशि वितरित किया जाना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

XXI. **अन्य परिलाभ** :

शत प्रतिशत लाभार्थियों ने सूचित किया कि फीस पुनर्भरण के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी भी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया। अन्य परिलाभों की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रावधानानुसार लाभान्वित किया जाता है।

चयनित 7 जिलों के राजकीय महाविद्यालयों में 1893 से 78 रूपये की सीमा में एवं निजी महाविद्यालयों में 26357 से 383 की सीमा में फीस पुनर्भरण किया जाना पाया गया।

XII. **छात्रवृत्ति राशि का व्यय** :

शत प्रतिशत लाभार्थियों ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे खरीदने आदि के लिए करते हैं।

XIII. **छात्रवृत्ति की उपयोगिता** :

विद्यालय स्तर पर चयनित 180 लाभार्थियों में से 97(53.9 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अवगत कराया कि यदि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो भी वे अपना अध्ययन जारी रखते एवं 83 (46.1 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि छात्रवृत्ति के अभाव में उन्हें अपना अध्ययन कार्य जारी रखने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता।

महाविद्यालय स्तर पर चयनित 226 लाभार्थियों में से 97 (42.9 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने बताया कि वे छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर भी अध्ययन जारी रखते एवं शेष 129 (57.1 प्रतिशत) लाभार्थियों से नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ।

XIV. **बुक बैंक सुविधा** :

विद्यालय स्तर पर चयनित 180 विद्यार्थियों में से 87 (48.3 प्रतिशत) लाभार्थियों से सकारात्मक एवं 93(51.7 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ। महाविद्यालय स्तर पर चयनित 226 लाभार्थियों में से 90 (39.8 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बुक बैंक सुविधा का होना एवं 136(60.2 प्रतिशत) ने सुविधा का नहीं होना अवगत कराया।

XV. **कार्यकारी वर्ग की प्रतिक्रिया** :

सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा योजना की उपयोगिता छात्रवृत्ति राशि की पर्याप्त, अन्य भत्ते एवं योजना की उपयोगिता के संबंध में 46 सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों के विचार भी प्राप्त किये गये।

XVI. **योजना की जानकारी** :

शत प्रतिशत सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों ने योजना के बारे में पूर्ण जानकारी होना अवगत कराया।

XVII. **छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र एवं राशि** :

46 चयनित कार्यकारी वर्ग में से अधिकांश 38(82.6 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति के आवेदन फॉर्म पर्याप्त मात्रा में एवं समय पर उपलब्ध होना बताया एवं शेष 8(17.4 प्रतिशत) ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

XVIII. **छात्रवृत्ति राशि** :

चयनित 46 अधिकारी वर्ग में से 23(50.0 प्रतिशत) कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि स्वीकृत की गई शत प्रतिशत राशि समय पर प्राप्त हो जाती है जबकि 23(50.0 प्रतिशत) के मतानुसार स्वीकृत राशि पूर्ण एवं समय पर प्राप्त नहीं होती।

विद्यार्थी द्वारा दी गई फीस के पुनर्भरण के संबंध में चयनित 46 अधिकारी वर्ग में से सिर्फ 18(39.1 प्रतिशत) ने हाँ में उत्तर दिया जबकि शेष 28 (60.9 प्रतिशत) कार्यकारी वर्ग ने फीस का पुनर्भरण समय पर नहीं दिया जाना अवगत कराया।

XIX. **छात्रवृत्ति की आवश्यकता एवं प्रभाव** :

चयनित 46 कार्यकारी वर्ग में 44(95.6 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति को लाभार्थियों के लिए आवश्यक बताया जबकि 2(4.4 प्रतिशत) कार्यकारी वर्ग ने नकारात्मक उत्तर दिया।

चयनित 46 कार्यकारी वर्ग में से 35(76.1 प्रतिशत) ने अवगत कराया कि यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती तो उनके नामांकन में कमी आती जबकि 11(23.9 प्रतिशत) के मतानुसार छात्रवृत्ति से नामांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

XXX. **छात्रवृत्ति का प्रभाव** :

चयनित कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति प्राप्त होने से विद्यार्थी आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। छात्रवृत्ति से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है एवं शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। छात्रवृत्ति से नामांकन में वृद्धि हुई है एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

## XXXI. कमियाँ एवं सुझाव

राज्य स्तर एवं जिला स्तर से रिकॉर्ड/सूचनाएँ एकत्र की गयी, जिनके आधार पर योजना का प्रभाव, क्रियान्वयन में अनुभूत की गई कमियाँ तथा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु दिये गये सुझावों का विवरण निम्नानुसार पाया गया :–

(1) **बजट अपर्याप्तता एवं आवंटन में देरी** :

कार्यकारी वर्ग एवं शत प्रतिशत लाभार्थियों ने अवगत कराया कि बजट अपर्याप्त है एवं बजट आवंटन समय पर नहीं हो पाता है।

अतः सुझाव है कि कार्यक्रम के विस्तार एवं उपयोगिता को देखते हुए वित्तीय प्रावधान द्वितीय त्रेमास तक आवश्यक रूप से किये जावें ताकि सत्र के मध्य से छात्रवृत्ति वितरण प्रारम्भ होकर वास्तविक लाभ प्रसारित हो सके।

(2) **स्टाफ की कमी** :

लगभग 80 प्रतिशत लाभार्थी एवं कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति का कार्य करने हेतु अलग से कोई स्टाफ की व्यवस्था नहीं की जाती है। अतः सुझाव है कि कार्यक्रम के कुशल संचालन हेतु आवेदन–पत्रों की जाँच एवं स्वीकृति प्रक्रिया हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहयोगी योजना पर विचार किया जावे जिसमें प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर कम्प्यूटर कर्मियों द्वारा कार्य निपटाया जावे।

(3) **बुक बैंक का अभाव** :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बुक बैंक हेतु कोई बजट नहीं दिया जाता। अतः विभाग द्वारा बुक बैंक हेतु अलग से बजट प्रावधान दिया जाना प्रस्तावित है।

(4) **छात्रवृत्ति में विलम्ब** :

अधिकांश लाभार्थी वर्ग ने अवगत कराया कि स्वीकृति 6–9 माह बाद प्राप्त होती है एवं छात्रवृत्ति का वितरण सत्रावसान के समय किया जाता है। अतः सुझाव है कि समय सीमा में ही छात्रवृत्ति वितरण का कार्य कर दिया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

(5) **आवेदन की जटिल प्रक्रिया** :

छात्रवृत्ति प्राप्ति की प्रक्रिया यथा आवेदन करना, पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज (आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र) तैयार करना आदि कार्यों हेतु छात्र को काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं। अतः सुझाव है कि प्रतिवर्ष नवीन छात्रों का रिकॉर्ड कम्प्यूटराईज्ड़ कराया जावे। आगामी वर्षों में इनसे फॉर्म नहीं भरवाये जावें। संस्थान के प्रवेश फॉर्म में ही कॉलम डाला जावे। इसी आधार पर नवीनीकरण छात्रवृत्ति दी जावे।

(6) **राजकीय एवं निजी संस्थाओं को बजट आवंटन युक्तिसंगत किया जावे** :

योजनान्तर्गत निजी संस्थाओं को फीस पुनर्भरण एवं अनुरक्षण भत्ता राजकीय संस्थाओं के छात्र–छात्राओं से अधिक पाया गया। अतः सुझाव है कि विभाग द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये जावे एवं निजी/सरकारी संस्थाओं सभी सुविधाओं हेतु एक समान बजट स्वीकृत किया जावे।

(7) **फीस की राशि का पुनर्भरण** :

सभी राजकीय एवं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं की फीस समान है जबकि गैर राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक फीस अलग–अलग हैं। इससे किसी संस्था को बहुत अधिक एवं किसी को कम फीस की राशि का पुनर्भरण होने से छात्रों में असन्तोष है। अतः सुझाव है कि राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं में एक समान राशि के रूप में फीस पुनर्भरण का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(9) **अन्य कमियाँ एवं सुझाव** :

I आय प्रमाण–पत्र योजना के दिशा–निर्देशानुसार ही प्राप्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जावें।

II लाभार्थियों ने अवगत कराया कि पात्रता हेतु निर्धारित अभिभावक की आय सीमा कम है। अतः इसमें वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

योजनान्तर्गत समूह के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना उपयोगी है। योजना के संचालन में निर्धारित मानदण्डों को अपना कर एवं अध्ययन में दिये गये सुझावों की क्रियान्विति कर इस योजना को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। छात्रवृत्ति वितरण में समानता, समयबद्धता लाकर यह योजना लक्षित वर्ग का भविष्य संवारने में कारगर सिद्ध होगी।

———

# अध्याय–प्रथम

# अध्ययन परिचय

## 1.1 प्रस्तावना :

1.1.1 राजस्थान सरकार ने वर्ष 1951–52 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही भारत के संविधान के भाग–4 राज्य नीति निदेशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षण हेतु पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापना की। वर्ष 1955–56 में इस विभाग का नाम परिवर्तित कर समाज कल्याण विभाग रखा गया। हाल ही भारत सरकार की तर्ज पर इसका नाम "सामाजिक न्याय व अधिकारिता" विभाग कर दिया गया है।

1.1.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ समाज के अत्यधिक गरीब, विधवा, अल्पसंख्यंक, निःशक्तजन, वृद्ध, विमुक्त एवं धुमन्तु और अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की अनेक योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। जिनमें छात्रावासों के माध्यम से छात्रों को आवास, भोजन, शिक्षा, पोशाक, स्टेशनरी निःशुल्क उपलब्ध कराना है ताकि वे शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ होकर अपना भविष्य उज्जवल बना सके। अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जैसे पूर्व मैट्रिक, पूर्व मैट्रिक–विशेष, उत्तर मैट्रिक, उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों को उपलब्ध करवायी जा रही है

## 1.2 उद्देश्य

योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के उन छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जो उत्तर मैट्रिक या उत्तर माध्यमिक स्तर में अध्ययन कर रहे है ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें ।

1.2.1 यह छात्रवृति उन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को उपलब्ध होगी जो राजस्थान के निवासी हो।

## 1.3 पात्रता की शर्ते :

1.3.1 ये छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति /जनजाति के भारतीय नागरिक को, जो राजस्थान के निवासी हो,के अध्ययनरत बच्चों को देय है।

1.3.2 सभी मान्यता प्राप्त उत्तर मैट्रिक विद्यालयों एवं संस्थानों के उत्तर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को दी जावेगी।

1.3.3 ऐसे छात्र जो दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् अन्य पाठ्यक्रमों में शामिल होते है उन छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्र माना जायेगा और वे छात्रवृति के पात्र होगे।

1.3.4 राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर के सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु आयोजित पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए मान्य नहीं है।

1.3.5 केवल वे ही अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के प्रार्थी जो वास्तव में राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी हो और जिन्हें राजस्थान राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जाति, जनजाति अधिसूचित किया गया हो।

1.3.6 छात्र जिन्होंने एक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और उसी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जैसे कला संकाय में इण्टरमीडिएट होने के बाद, विज्ञान संकाय में इण्टरमीडिएट, B.A के बाद B.Com या M.A अलग–अलग विषयों में कर रहे है वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगें।

1.3.7 छात्र जिन्होंने अपनी शिक्षा एक व्यावसायिक क्षेत्र में पूरी कर ली हो वे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा बी.टी/बी.एड. के पश्चात् एल.एल.बी. के लिए छात्रवृत्ति हेतु पात्रताधारी नहीं होगे परन्तु एकेडेमिक वर्ष 1980–81 से दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति देय होगी।

1.3.8 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेन्स इंजिनियरिंग पाठ्यक्रम, निजी पायलेट लाइसेन्स पाठ्यक्रम, ट्रेनिंग शिप इन डफरिन, (अब राजेन्द्रा) , मिलिटरी कालेज देहरादून में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए यह छात्रवृति देय नहीं होगी।

1.3.9 चिकित्सा शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगें यदि उन्हें अध्ययन काल में प्रेक्टिस करने की अनुमति न हो।

1.3.10 कला/वाणिज्य/विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्र यदि किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री विषयों में अध्ययन प्रारम्भ करता है तो उसे छात्रवृत्ति देय होगी यदि अन्य शर्ते पूरी करता है। ग्रुप प्रथम के अतिरिक्त अनुतीर्ण छात्र को छात्रवृति देय नहीं होगी।

1.3.11 पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ने वाले छात्र भी छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं , पत्राचार पाठ्यक्रम में दूरस्थ एवं सतत् शिक्षा भी शामिल है।

1.3.12 रोजगाररत छात्र जिनकी स्वयं की आय और उनके माता पिता/सरंक्षक की आय निर्धारित आय सीमा से अधिक नही है, वे भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

1.3.13 एक माता पिता/अभिभावक के सभी बच्चे इस योजना के लाभ के हकदार होगें।

1.3.14 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का छात्रवृत्ति धारक, कोई अन्य छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए छात्र को अपना विकल्प देना होगा कि दोनों में से कौनसी छात्रवृत्ति या भत्ता उसके लिए अधिक लाभकारी है। अपना विकल्प भरकर उसे संस्था प्रधान को अवगत कराना होगा। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कोई छात्र इस योजना का लाभ तभी ले सकेगा जब वह अन्य छात्रवृत्तियाँ/ भत्ता लेना बंद कर देगा। कोई छात्र इस योजना में राज्य सरकार से मुफ्त आवास, अनुदान या आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकता है। या किसी अन्य स्त्रोत से पुस्तकों व उपकरणों की खरीद के लिए तथा भोजन व आवास की सुविधा भी छात्रवृत्ति के अतिरिक्त ले सकता है।

## 1.4. संसाधन पात्रता (Means Test)

छात्रवृत्ति उन सभी छात्रों को दी जायेगी जिनके माता पिता/संरक्षक की सभी स्त्रोतों से आय एक लाख वार्षिक से अधिक न हो।

1.4.2 छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्रों का चयन नियमों में पात्रता की शर्ते पूरी होने पर ही किया जावेगा।

1.4.3 छात्र जो राजस्थान से बाहर अध्ययन कर रहा है, वह भी अपने राज्य से ही छात्रवृत्ति प्राप्त करेगा, जबकि आवेदन पत्र अध्ययनरत राज्य के संस्था प्रधान को अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत करेगा। फीस एवं अन्य सभी रियायतें उसे उसी प्रकार देय होगी, जैसे वह अपने राज्य में अध्ययनरत रहते हुए प्राप्त करता।

## 1.5. छात्रवृत्ति राशि :

1.51 भारत सरकार द्वारा जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार 10 जमा 2 योजना एवं कालेज स्तर पर यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना में छात्रवृत्ति राशि के अलावा अन्य शिक्षा व्यय जैसे फीस आदि का पुनर्भरण, शैक्षणिक भ्रमण, थीसिस टंकण, पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता , विशिष्ठ पाठ्यक्रमों के लिए बुक बैंक सुविधा भी उपलब्ध है, जो पाठ्यक्रम पूरा होने तक जारी रहेगी, योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों का समूहीकरण एवं तद्नुसार निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दरें निम्नानुसार हैं :–

| पाठ्यक्रमों का समूहीकरण | निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर प्रतिमाह ( रूपयों में ) | |
|---|---|---|
| | छात्रावास में रहने वाले | छात्रावास में न रहने वाले |
| **समूह "1"**<br>औषधि (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों), इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि पशु–चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान । वाणिज्यिक पायलेट लाइसेन्स (हेलिकॉप्टर पायलट तथा मल्टी इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नात्कोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम) (एम.फिल., पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान )। | 740 | 330 |
| **समूह "2"**<br>समूह "1" में शामिल न किये गये अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नात्कोत्तर (एम.फिल., पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) स्तरीय पाठ्यक्रम । सी. ए./आई.सी.डब्ल्यू. ए./ सी.एस. आदि पाठ्यक्रम । सभी स्नातक स्नात्कोत्तर स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम,, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम। | 510 | 330 |
| **समूह "3"**<br>स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह "1" तथा "2" में शामिल नहीं किये गये है)। | 355 | 185 |
| **समूह "4"**<br>समूह "2" या समूह "3" में शामिल न किये गये 10 + 2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जेसे ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (यदि पाठ्यक्रम, में पढ़ने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हता कम से कम मैट्रिकुलेशन हो)। | 235 | 140 |

(**सूचना स्त्रोत**– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के माह अप्रेल 2003 को जारी दिशा–निर्देश)

### 1.5.2 विकलांग अनुसूचित जाति के छात्रों के अतिरिक्त भत्ता :

(क) दृष्टिहीन छात्रवृत्ति धारकों के लिए वाचक भत्ता

| पाठ्यक्रम का स्तर | वाचक भत्ता (रूपये प्रतिमाह) |
|---|---|
| ग्रुप I , II | 150 |
| ग्रुप III | 125 |
| ग्रुप IV | 150 |

(ख) विकलांग छात्रों के लिए 100/– रूपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ता देय होगा। यदि ऐसे छात्र उस छात्रावास में नहीं रहते जो शिक्षण संस्था के परिसर में है विकलांगता वाले व्यक्ति (समान अवसर, हित रक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत विकलांगता को नेत्रहीनता कम दिखना, कुष्ठ उपचारित श्रवण बाधिता, स्वचालन अक्षमता, मानसिक विमन्दिता एवं मानिसिक रोग के रूप में परिभाषित किया गया है।

(ग) उन दिवसीय छात्रों को, जो अत्यधिक अक्षम विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, 100/– रूपये प्रतिमाह मार्ग रक्षक (Escort) भत्ता देय होगा।

(घ) किसी भी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास के असामान्य रूप से विकलांग छात्र को जिसके किसी सहायक की आवश्यकता हो उसे छात्रावास कर्मी यदि सहायता करना चाहता है तो उस कर्मी को विशेष वेतन के रूप में 100/– प्रतिमाह देय होगा।

(ड.) मानसिक रूप से विमन्दित या मानसिक रोगी छात्र को भी अतिरिक्त कोचिंग के लिए 150/– प्रतिमाह भत्ता देय है।

कुष्ठ उपचारित छात्रों के लिए भी (ख) से (ड.) तक के प्रावधान लागू होंगे।

### 1.5.3 शुल्क (Fees):

छात्रवृत्ति धारक को वे सभी शुल्क जो छात्र द्वारा अनिवार्य रूप से संस्था, विश्वविद्यालय/बोर्ड में, नामांकन/पंजीकरण, ट्यूशन, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, मैगंजीन और स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भुगतान किया जाता है, उसमें से जमानती जमा राशि व प्रतिपूर्ति जमा राशि को छोड़कर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

1.5.4 **शैक्षणिक भ्रमण :**

व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु 1000/– रूपये प्रतिवर्ष या परिवहन पर वास्तविक व्यय दिया जावेगा, बशर्ते कि संस्था प्रधान इस आशय का प्रमाण पत्र देवें कि इस पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक भ्रमण आवश्यक है।

1.5.5 **शोध ग्रन्थ (थीसिस) टंकण/मुद्रण व्यय :**

संस्था प्रधान की अनुशंषा पर शोध छात्रों को अधिकतम 1000/– रूपये तक राशि शोध ग्रन्थ टंकण एवं मुद्रण हेतु देय होगी।

1.5.6 **दूरवर्ती और अनुवर्ती शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रम :**

पैरा 1.5.1 में वर्णित (समूह 1 से 4 तक) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत सभी छात्रों को पाठ्यक्रम शुल्क के अतिरिक्त आवश्यक/निर्धारित पुस्तकों के लिए 750/– रूपये का वार्षिक भत्ता देय होगा।

1.5.7 **बुक बैंक सुविधा :**

1. समस्त चिकित्सा, अभियान्त्रिकी, कृषि, विधि और पशु चिकित्सा स्नातक महाविद्यालयों और चार्टेड अकाउटेंसी, व्यावसायिक प्रबन्धन एवं तत्संबंधी प्रबन्धन पाठ्यक्रमों और पॉलिटैक्निक जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहें है, में बुक बैंक की योजना कार्यरत है।

2. विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत 2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों का एक सैट जबकि स्नातकोत्तर अध्ययन एवं चार्टेड एकाउटेन्सी के लिए एक सैट प्रति छात्र खरीदा जायेगा। फिर भी छात्रों एवं पुस्तकों के सैटों के बीच अनुपात राज्य सरकार द्वारा आवंटित संसाधनों की सीमा में प्राप्त की गयी पुस्तकों के आधार पर समायोजित किया जायेगा।

3. स्थापित बुक बैंक योजना के अन्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों के प्रति सैट की उच्चतम सीमा और हिस्सेदारी का मापदण्ड निम्नानुसार दिया गया है।

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम | हिस्सेदारी का मापदण्ड | प्रति सैट उच्चतम सीमा (या वास्तविक कीमत जो भी कम हो) (रूपयों में ) |
|---|---|---|---|
| 1. | मेडिकल/इजिनियरिंग में स्नातक उपाधि. | 2 छात्रों के लिए 1 सैट | 7500/– |
| 2. | पशु चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रम | 2 छात्रों के लिए 1 सैट | 5000/– |
| 3. | कृषि में स्नातक पाठ्यक्रम | 2 छात्रों के लिए 1 सैट | 4500/– |
| 4. | पॉलिटैक्निक | 2 छात्रों के लिए 1 सैट | 2400/– |
| 5. | a. चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि, पशु चिकित्सा और ऐसे अन्य तकनीकी तत्समान पाठ्यक्रमों में, तत्संबंधी उच्च अध्ययन के विश्वविद्यालय या संस्थान से स्वीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम | 1 सैट, प्रति छात्र | 5000/– |
| | b. विधि पाठ्यक्रम (3 वर्षीय और 5 वर्षीय ) एल.एल.एम (द्विवर्षीय) | 1 सैट, प्रति छात्र | |
| | c. चार्टेड अकाउटेंसी (इन्टरमीडिएट एण्ड फाइनल ) | 1 सैट, प्रति छात्र | |
| | d. व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर (2 वर्षीय) और उसी के समकक्ष अन्य पाठ्यक्रम | 1 सैट, प्रति छात्र | |
| | e. बायो साइंस | 1 सैट, प्रति छात्र | |

## 1.6 बजट आवंटन, छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण हेतु दिशा निर्देश :

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में राज्य में छात्रवृत्ति हेतु बजट आवंटन, स्वीकृति एवं वितरण हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार प्रेषित है।

1.6.1 योजनान्तर्गत राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राज्य आयोजना मद में नवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक) हेतु 1938. 80 लाख रूपये प्रतिवर्ष की दर से बजट आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना के समस्त दायित्व " केन्द्रीय अर्थ प्रवर्तित योजना " से राज्य को प्राप्त निधियों से वहन किये जाते हैं ।

1.6.2 निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु बजट आवंटन प्रक्रिया तीन तरीकों से की जाती है जो निम्न प्रकार से है–

1. समस्त राजकीय महाविद्यालयों, तकनीकी, व्यावसायिक एवं चिकित्सीय शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधानों को सीधे ही बजट आवंटन किया जाता है।

2. समस्त जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारियों को बजट आवंटन किया जाता है। जिला अधिकारी बजट का उपयोग जिले में निजी महाविद्यालयों, तकनीकी व्यावसायिक एवं चिकित्सीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण में करते है। इसके अतिरिक्त राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी संबंधित जिले का अधिकारी ही छात्रवृत्ति का भुगतान करेगा।

3. उत्तर मैट्रिक स्तर की कक्षा 11 व 12 में राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु बजट आवंटन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय जयपुर के माध्यम से किया जाता है।

1.6.3 निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे, कि पात्र अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों से कोई वापस न किये जाने योग्य अनिवार्य शुल्क एकत्र न किये जावे। क्योंकि यह शुल्क राज्य सरकार/स्वीकृति कर्ता प्राधिकारी द्वारा सीधे संस्थाओं को प्रदान किये जावेगें। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इन दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन आवेदक द्वारा पात्रता प्रमाण स्वरूप प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों सहित आय व जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर नये मामलों में किया जा सकता है। पहचान की दृष्टि से आय व जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर जिला या ब्लाक स्तर के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा एक कार्ड जारी किया जाना चाहिये। कार्ड जारी होने में सामान्यतः 10 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिये, नवीनीकरण के मामले में संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार के कागज पत्र की मांग नहीं की जानी चाहिये।

1.6.4 नवीन छात्रवृत्ति के मामले में आवेदन पत्र संस्थान को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा काफी पहले प्रदान किये जाते है, ताकि वे संस्थान प्रवेश पत्रों के साथ ऐसे आवेदन पत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को उपलब्ध करा सकें। इस प्रयोजन के लिए फार्मो के स्टाक की स्थिति की समीक्षा का कार्य माह जनवरी से किया जाय ताकि शैक्षणिक वर्ष आरम्भ होने से पूर्व पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध हो सके। जहाँ निधियाँ ट्रेजरियों से ली जाती है वहाँ कम से कम सरकारी कालेजों के मामलों में संस्थानों के प्रधानों को विद्यार्थियों को मासिक भुगतान करने हेतु बिलों को तैयार करने और ट्रेजरी से ड्रा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। जहाँ यह संभव नहीं हो, वहाँ प्रधानाध्यापकों को बिलों को ब्लाक स्तर के किसी पदनामित अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से ट्रेजरी को भेजने की अनुमति दी जाती है। नवीन छात्रवृत्ति के मामलों में प्रधानाध्यापकों द्वारा विधिवत पूर्ण छात्रवृत्ति आवेदन पत्र एवं नवीनकरण मामलों की एक

सूची तथा उनके लिए पूर्ण सत्र हेतु आवश्यक निधि की आवश्यकता दर्शाते हुए स्वीकृत अधिकारी द्वारा अगस्त माह तक या प्रवेश पाने की अंतिम तिथि से 2 सप्ताह के अन्दर जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है।

1.6.5 जहाँ भुगतान संबंधी संवितरण बैंक के माध्यम से न किये जावे जहाँ संवितरण नकद या चैक द्वारा किये जाने की तरजीह/प्राथमिकता देते हुए किये जाने चाहिये।

1.6.6 नवीन छात्रवृत्ति के संबंध में भुगतान का प्रथम वितरण अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अथवा स्वीकृति पारित से दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिये। नवीन विद्यार्थियों का कक्षा में प्रवेश माह की 20 तारीख तक किया गया हो उनको ही उस माह की छात्रवृत्ति देय होगी नवीन विद्यार्थियों को दी जाने वाल छात्रवृत्ति की गणना माह अप्रेल तक की जावेगी। नवीनीकरण के मामलों में संवितरण प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित सूची के आधार पर शिक्षा सत्र के आरम्भ होने के 1 माह के अन्दर शुरू कर दिये जाने चाहिये। तत्पश्चात् मासिक भुगतान किये जाने चाहिये। यदि संभव न हो तो किसी विशेष संस्था में जिसमें काफी संख्या में स्कालर हो और लिपिकीय कार्य समय पर न किये जाते हो वहाँ यह सुनिश्चित किया जावे कि छात्रवृत्तियाँ कम से कम दो महिने में 1 बार संवितरण की जावें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अन्तिम भुगतान शिक्षा सत्र समाप्त होने से पहले कर दिया जावे। नवीनीकरण के मामलों में दिवसीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पूरे वर्ष की तथा छात्रावासी छात्रों के लिए 10 माह की छात्रवृत्ति देय होगी।

1.6.7 केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण के संबंध में जारी की गई समय सारणी निम्न प्रकार है–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए फार्मो की उपलब्धि की समीक्षा करना | जनवरी |
| 2. | छात्रों को आवेदन पत्रों का प्रावधान(नवीन छात्रवृत्ति हेतु ) | नामांकन आवेदन पत्र के साथ |
| 3. | संस्वीकृति प्राधिकारी को आवेदन/सूचियाँ भेजा जाना | अगस्त अथवा नामांकन समाप्त होने के दो सप्ताह के भीतर |
| 4. | संस्वीकृति जारी करना | सितम्बर अथवा नामांकन बन्द होने के 1 महीने के अन्दर |
| 5. | **प्रथम वितरण** | |
| | क. नवीनकीकण के मामलों में | शिक्षण सत्र के आरम्भ होने के 1 महीने के भीतर अक्टूबर या संस्वीकृति के दो हफ्ते के भीतर |
| | ख. नवीन मामलों में | |
| 6. | प्रथम माह के बाद का वितरण | मासिक आधार पर किया जाना है जहाँ मामलों की संख्या अधिक हो, वहाँ पर संवितरण मासिक के आधार पर द्विमासिक भी किया जा सकता है। |

## 1.7 योजना का क्रियान्वयनः

1.7.1 राज्य में योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं राज्य में संचालित राजकीय महाविद्यालयों के सहयोग से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के कक्षा 11 व 12 तथा महाविद्यालयों के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति केन्द्रीय सहायतान्तर्गत प्रदान की जाती है। इस योजना में छात्रवृत्ति के अलावा अन्य शिक्षा व्यय जैसे फीस आदि का पुर्नभरण, शैक्षणिक भ्रमण, थीसीस टंकण, पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को पुस्तक भत्ता, विशिष्ठ पाठ्यक्रमों के लिए बुक बैंक सुविधा भी उपलब्ध है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 2003–04 में 2937.60, 2004–05 में 5289.76, 2005–06 में 4328.51 तथा वर्ष 2006–07 में 8880.35 लाख रूपये व्यय किये गये हैं तथा वर्षवार क्रमशः 170444, 183238, 114093 एवं 249730 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

## 1.8 अध्ययन की आवश्यकता :

1.8.1 माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन निम्न उद्धेश्यों को आधार मानकर किया गया है।

## 1.9 अध्ययन के उद्देश्य :

स्कूल स्तर पर कक्षा 11 एवं 12 तथा कालेज स्तर पर देय छात्रवृत्ति के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं –

1. योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।

2. लाभान्वितों की पात्रता का आंकलन करना।

3. लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी छात्रवृत्ति की वास्तविक स्थिति को ज्ञात करना।

4. योजनान्तर्गत राशि की उपलब्धता, पर्याप्तता एवं वितरण की समयावधि का आंकलन करना।

5. योजना के संचालन में अनुभूत की जा रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निवारण हेतु उपयुक्त सुझाव देना।

1.10 **न्यादर्श परिकल्पना :**

1.10.1 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मूल्यांकन करने हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति का उपयोग करते हुए प्रथम स्तर पर 32 जिलों को संभागवार अंग्रेजी वर्णानुकुल में रख कर साधारण न्यादर्श प्रणाली द्वारा प्रत्येक संभाग से एक जिले का चयन किया गया है। जिनमें क्रमशः अजमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, जैसलमेर, बूंदी तथा राजसमन्द है।

1.10.2 द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से 2–2 महाविद्यालय एवं विद्यालयों का चयन किया गया है। जिनमें अधिकतम लाभार्थियों वाले 1–1 महाविद्यालय एवं विद्यालय राजकीय तथा 1–1 महाविद्यालय एवं विद्यालय गैर राजकीय चयनित किये गये हैं।

10.3 तृतीय स्तर पर प्रत्येक महाविद्यालय/विद्यालय से साधारण न्यादर्श प्रणाली से वर्ष 2006–07 में अध्ययनरत 10 अनुसूचित जाति के एवं 10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों का चयन कर अनुसूचियाँ भरी गयी हैं। छात्रों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि छात्र डेस्कालर और छात्रावासी दोनों में से हो और उनमें 50% अनुसूचियाँ छात्राओं से साक्षात्कार कर भरी गयी है। यदि छात्राएं उपलब्ध न हो तो निर्धारित छात्रों से ही भर ली गयी है। इस प्रकार अध्ययन हेतु निम्न इकाईयों का चयन किया गया है–

| | |
|---|---|
| जिले | 7 |
| महाविद्यालय | 14 |
| विद्यालय | 14 |
| लाभ प्राप्तकर्ता | |
| 1. एस.सी | 280 |
| 2. एस.टी | 280 |

1.11 **अध्ययन उपकरण :**

1. **जिला/राज्य प्रलेख अनुसूची :**

इस अनुसूची में समाज कल्याण विभाग से राज्य स्तरीय एवं चयनित जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचनाएं एकत्रित की गयी है।

2. **महाविद्यालय/विद्यालय अनुसूची :**

इस अनुसूची में चयनित विद्यालय/महाविद्यालय से संधारित लेखों के आधार पर योजनान्तर्गत लाभान्वित छात्र/ छात्राओं की संख्या एवं उनको उपलब्ध करायी राशि एवं अन्य परिलाभों की सूचनाएं भरी गयी है।

3. **लाभार्थी अनुसूची :**

इस अनुसूची में चयनित लाभार्थियों से साक्षात्कार कर छात्रवृत्ति की उपलब्धता, पर्याप्तता एवं उपयोगिता की जानकारी प्राप्त की गयी है।

4. **कार्यकारी अनुसूची :**

इस अनुसूची में चयनित क्षेत्र के सरकारी कार्यकारी जिनमें शिक्षा विभाग/समाज कल्याण विभाग तथा चयनित संस्था के प्रभारी अधिकारियों से कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारिया ली गयी है।

5. **अवलोकन टिप्पण :**

अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य में कार्यरत प्रत्येक प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा अध्ययन के उद्देश्यों ध्यान में रखकर, अवलोकित तथ्यों का विस्तृत ब्यौरा उल्लेखित किया गया है। अवलोकित तथ्यों का विवरण प्रतिवेदन में यथास्थान अंकित किया गया है।

6. **संदर्भ अवधि :**

प्रलेख सूचनाएं अवधि वर्ष 2003–04 से 2006–07 की अवधि की तथा कार्यकारी अनुसूची,लाभार्थी अनुसूची एवं अवलोकन टिप्पणी सर्वेक्षण तिथी से सम्बन्धित है।

———

# अध्याय–द्वितीय

# प्रगति समीक्षा

## 2.0 राज्य स्तरीय प्रगति :

यह योजना राज्य के सभी 32 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य स्तरीय वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार दर्शाया जा रहा है।

राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक सुधार हेतु अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की गई है। इनमें से एक योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का अध्ययन मान्नीय समाज कल्याण मंत्री महोदय के निर्देशानुसार मूल्यांकन विभाग द्वारा सम्पादित किया गया है।

## 2.1 वित्तीय प्रबन्धन :

2.1.1 योजनान्तर्गत राज्य के 32 जिलों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केन्द्रीय एवं राज्य योजना द्वारा आवंटित एवं व्यय राशि एवं लाभान्वितों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

**राजकीय/निजी (महाविद्यालयों, विद्यालयों में कक्षा 11वीं, 12वीं हेतु) को आवंटित एवं व्यय राशि एवं लाभान्वितों का विवरण**

**(राशि लाखों में)**

| क्र. सं. | वर्ष | राज्य योजना | | केन्द्रीय सहायता | | योग | | लाभान्वितों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटित राशि | व्यय राशि | आवंटित राशि | व्यय राशि | आवंटित राशि | व्यय राशि | |
| 1 | 2003–04 | 1954 | 1933.62 | 2046 | 1003.98 | 4000 | 2937.60 | 170444 |
| 2 | 2004–05 | 1954 | 1844.06 | 3987 | 3445.70 | 5941 | 5289.76 | 183238 |
| 3 | 2005–06 | 1973 | 1942.47 | 3266 | 2366.04 | 5239 | 4328.51 | 114093 |
| 4 | 2006–07 | 1990 | 2095.61 | 7666 | 6784.74 | 9656 | 8880.35 | 249730 |
| | **योग :** | **7871** | **7815.76** | **16965** | **13600.46** | **24836** | **21436.22** | **717505** |

(**सूचना स्त्रोत** – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर)

2.1.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह विदित होता है कि सन्दर्भित चारों वर्षों (2003–04 से 2006–07) में राज्य योजना एवं केन्द्रीय सहायता द्वारा राजकीय/निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को कुल 24836 लाख रूपये की आवंटित राशि के विपरीत 21436.22 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया जाना पाया गया। कुल आवंटित 24836 लाख रूपये में से 7871 (31.7 प्रतिशत) लाख रूपये राज्य योजना मद से एवं 16965 (68.3 प्रतिशत) लाख रूपये केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जाने पाये गये।

2.1.3 महाविद्यालयों एवं विद्यालयों कक्षा 11, 12 हेतु वर्ष 2006–07 में अधिकतम 249730 एवं 2005–06 में न्यूनतम 114093 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना पाया गया एवं वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में क्रमशः 170444 एवं 183238 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

## 2.2 चयनित जिलों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

2.2.1 योजना की प्रगति समीक्षा हेतु चयनित जिलों से प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय समंकों का विश्लेषण निम्नानुसार वर्णित है।

## 2.3 वित्तीय प्रगति :

2.3.1 योजनान्तर्गत चयनित 7 जिलों की सन्दर्भित चार वर्षों (2003–04 से 2004–05) तक की राजकीय/निजी विद्यालय एवं महाविद्यालयों को स्वीकृत, आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट है :– **(राशि लाखों में)**

| क्र. सं. | चयनित जिलों के नाम | वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की राशि (लाख रूपयों में) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजकीय/निजी विद्यालय | | | | राजकीय/निजी महाविद्यालय | | | |
| | | स्वीकृत | आवंटित | व्यय | व्यय राशि का प्रतिशत | स्वीकृत | आवंटित | व्यय | व्यय राशि का प्रतिशत |
| 1 | अजमेर | 34.64 | 31.55 | 31.55 | 100.0 | 848.94 | 848.94 | 800.87 | 94.3 |
| 2 | भरतपुर | 102.65 | 102.65 | 76.26 | 74.3 | 359.06 | 359.06 | 334.36 | 93.1 |
| 3 | बून्दी | 13.20 | 12.03 | 12.03 | 100.0 | 290.91 | 290.91 | 281.85 | 96.9 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 100.0 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 100.0 |
| 5 | जैसलमेर | 21.15 | 21.09 | 17.80 | 84.4 | 27.49 | 27.49 | 25.71 | 93.5 |
| 6 | राजसमन्द | 33.62 | 33.12 | 29.10 | 87.9 | 48.17 | 48.17 | 47.60 | 98.8 |
| 7 | सीकर | 82.43 | 82.43 | 81.52 | 98.9 | 422.84 | 422.84 | 389.19 | 92.0 |
| | **योग :** | **335.14** | **330.32** | **295.71** | **89.5** | **2028.28** | **2028.28** | **1910.45** | **94.2** |

**स्त्रोत** : (संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा)

2.3.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि संदर्भित चारों वर्षों (2003–04 से 2006–07) तक केन्द्रीय प्रवर्तित एवं राज्य योजना मद से राजकीय/निजी विद्यालयों को कुल 385.14 लाख रूपये स्वीकृत किये गये एवं 330.32 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 295.71 (89.5 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये।

2.3.3 इसी प्रकार राजकीय/निजी महाविद्यालय एवं संस्थानों को 2028.28 लाख रूपये स्वीकृत किये गये एवं 2028.28 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 1910.45 (94.2 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये। विद्यालय स्तर पर भरतपुर जिले को अधिकतम 102.65 लाख रूपये एवं न्यूनतम बून्दी जिले को 12.03 लाख रूपये आवंटित किये गये। राजकीय महाविद्यालयों में अजमेर जिले को अधिकतम 848.94 लाख रूपये एवं न्यूनतम जैसलमेर जिले को 27.49 लाख रूपये आवंटित किये जाने पाये गये। हनुमानगढ़ जिले के एक महाविद्यालय की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण सिर्फ एक महाविद्यालय से प्राप्त सूचना ही दी गई है।

## चयनित जिलों में राजकीय/निजी विद्यालयों की संख्या

| क्र. सं. | चयनित जिलों के नाम | 2003–04 | | | 2004–05 | | | 2005–06 | | | 2006–07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजकीय | निजी | योग | राजकीय | निजी | योग | राजकीय | निजी | योग | राजकीय | निजी | योग |
| 1 | अजमेर | 92 | 52 | 144 | 96 | 52 | 148 | 102 | 52 | 154 | 111 | 52 | 163 |
| 2 | भरतपुर | 45 | 39 | 84 | 45 | 51 | 96 | 49 | 59 | 108 | 194 | 216 | 410 |
| 3 | बून्दी | 42 | 1 | 43 | 42 | 4 | 46 | 44 | 4 | 48 | 51 | 10 | 61 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 55 | 40 | 95 | 55 | 40 | 95 | 60 | 60 | 120 | 63 | 76 | 139 |
| 5 | जैसलमेर | 15 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 | 18 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 |
| 6 | राजसमन्द | 55 | 4 | 59 | 62 | 4 | 66 | 67 | 6 | 73 | 67 | 6 | 73 |
| 7 | सीकर | 99 | 63 | 162 | 99 | 79 | 178 | 113 | 111 | 224 | 116 | 158 | 274 |
| | **योग :** | **403** | **202** | **605** | **414** | **233** | **647** | **453** | **295** | **748** | **621** | **521** | **1142** |

## चयनित जिलों में राजकीय/निजी महाविद्यालयों की संख्या

| क्र. सं. | चयनित जिलों के नाम | 2003–04 | | | 2004–05 | | | 2005–06 | | | 2006–07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राजकीय | निजी | योग | राजकीय | निजी | योग | राजकीय | निजी | योग | राजकीय | निजी | योग |
| 1 | अजमेर | 12 | 25 | 37 | 12 | 27 | 39 | 12 | 38 | 50 | 12 | 42 | 54 |
| 2 | भरतपुर | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 23 | 32 | 9 | 50 | 59 |
| 3 | बून्दी | 2 | – | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 12 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 5 | जैसलमेर | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 3 | 3 |
| 6 | राजसमन्द | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 7 | सीकर | 9 | 26 | 35 | 9 | 36 | 45 | 9 | 45 | 54 | 9 | 59 | 68 |
| | **योग :** | **40** | **65** | **105** | **40** | **81** | **121** | **38** | **119** | **157** | **39** | **167** | **206** |

2.3.4 उपरोक्त सारणियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित 7 जिलों में वर्ष 2003–04 में 403 राजकीय एवं 202 निजी यानि कुल 605 विद्यालय एवं वर्ष 2004–05 में यह संख्या बढ़कर राजकीय 414 निजी 233 एवं कुल 647 हो गई। वर्ष 2005–06 में राजकीय एवं निजी विद्यालयों की संख्या 748 एवं 2006–07 में बढ़कर 1142 हो गई। निष्कर्षतः यह कहना उचित होगा कि वर्ष दर वर्ष विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होना शिक्षा के प्रति जागरूकता का द्योतक है।

2.3.5 यही स्थिति महाविद्यालय स्तर पर भी दृष्टिगत होती है। चयनित 7 जिलों में वर्ष 2003–04 में कुल 40 राजकीय एवं 65 निजी महाविद्यालय पाये गये। वर्ष 2004–05 में 40 राजकीय एवं 81 निजी, वर्ष 2005–06 में 38 राजकीय एवं 119 निजी एवं वर्ष 2006–07 में 39 राजकीय एवं 167 निजी महाविद्यालय पाये गये। चयनित सभी जिलों में राजकीय कॉलेजों की तुलना में निजी कॉलेजों की संख्या अधिक पाई गई एवं निजी विद्यालयों में उत्तरोत्तर वृद्धि होना पाया गया। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सरकार के साथ समाज के बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

## 2.4 राजकीय/निजी विद्यालयों एवँ महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्या :

2.4.1 अध्ययन हेतु चयनित 7 जिलों के राजकीय/निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

**राजकीय/निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण**

| क्र. सं. | चयनित जिले | राजकीय एवं निजी विद्यालय | | | | राजकीय एवं निजी महाविद्यालय | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
| 1 | अजमेर | 3667 | 4082 | 3840 | 4221 | 3977 | 4162 | 4186 | 5286 |
| 2 | भरतपुर | 1078 | 1868 | 2567 | 3242 | 3695 | 3713 | 3565 | 4174 |
| 3 | बून्दी | 1133 | 2602 | 2633 | 2660 | 1483 | 1605 | 1594 | 1601 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 2204 | 3178 | 2520 | 2757 | 322 | 401 | 444 | 451 |
| 5 | जैसलमेर | 342 | 322 | 344 | 376 | 157 | 187 | 188 | 386 |
| 6 | राजसमन्द | 983 | 949 | 848 | 944 | 280 | 366 | 362 | 362 |
| 7 | सीकर | 3615 | 4102 | 6029 | 11163 | 1499 | 2327 | 2332 | 3087 |
| | **योग :** | **13022** | **17103** | **18781** | **25363** | **11413** | **12761** | **12671** | **15347** |

2.4.2 उपरोक्त सारिणी से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि दृष्टिगोचर होती है, जो कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। चयनित 7 जिलों के राजकीय/निजी विद्यालयों में वर्ष 2003–04 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 13022 थी जो वर्ष 2004–05 में बढ़कर 17103 , वर्ष 2005–06 में 18791 एवं वर्षग 2006–07 में 25363 हो गई यानि वर्ष 2003–04 की तुलना में वर्ष 2006–07 में लगभग दुगुनी 94.7 की वृद्धि होना पाया गया।

2.4.3 यही स्थिति राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में दृष्टिगत होती है। चयनित सात जिलों के राजकीय/निजी महाविद्यालयों में वर्ष 2003–04 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्या 10413 थी जो वर्ष 2004–05 में 12761, 2005–06 में कुछ घटकर 12671 एवं वर्ष 2006–07 में बढ़कर 15347 हो गयी अर्थात वर्ष 2003–04 की तुलना में वर्ष 2006–07 में 47.4 प्रतिशत वृद्धि होना पाया गया।

## 2.5 लाभान्वितों की प्रगति समीक्षा :

2.5.1 योजनान्तर्गत चयनित 7 जिलों में वर्षवार राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालयों में लाभान्वितों का विवरण निम्न सारिणी में दिया जा रहा है :–

### चयनित जिलों में वर्षवार लाभान्वितों की संख्या

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय | | | | राजकीय/गैर राजकीय महाविद्यालय/संस्थान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
| 1 | अजमेर | 1959 | 2658 | 2023 | 900 | 2884 | 3633 | 2907 | 4083 |
| 2 | भरतपुर | 1078 | 1868 | 1227 | 3176 | 3695 | 3713 | 3565 | 3932 |
| 3 | बून्दी | 2042 | 2269 | 293 | 606 | 1465 | 1529 | 1562 | 1565 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 1620 | 1518 | 1521 | 1469 | 309 | 380 | 218 | 385 |
| 5 | जैसलमेर | 265 | 217 | 194 | 263 | 149 | 180 | 236 | 661 |
| 6 | राजसमन्द | 836 | 698 | 449 | 825 | 140 | 196 | 213 | 239 |
| 7 | सीकर | 2891 | 2982 | 2658 | 2684 | 1353 | 2204 | 2196 | 2851 |
| | **योग :** | **10691** | **12210** | **8365** | **9923** | **9995** | **11835** | **10897** | **13716** |

2.5.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि चयनित 7 जिलों में राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के अधिकतम 12210 विद्यार्थियों को वर्ष 2004–05 में एवं न्यूनतम 8365 विद्यार्थियों को वर्ष 2005–06 में लाभान्वित किया गया जबकि वर्ष 2003–04 एवं 2006–07 में क्रमशः 10691 एवं 9923 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना पाया गया।

2.5.3 इसी प्रकार राजकीय/निजी महाविद्यालयों में सर्वाधिक 13716 विद्यार्थियों को वर्ष 2006–07 एवं सबसे कम 9995 विद्यार्थियों को वर्ष 2003–04 में लाभान्वित किया गया, जबकि वर्ष 2004–05 में 11835 एवं 2005–06 में 10897 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना पाया गया।

## 2.6 कुल लाभान्वितों में छात्राओं की सहभागिता :

2.6.1 चयनित राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कुल लाभान्वितों में से लाभान्वित छात्राओं का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण निम्नानुसार पाया गया :–

| क्र. सं. | चयनित जिले | राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | | 2004–05 | | 2005–06 | | 2006–07 | |
| | | कुल लाभान्वित | छात्राएँ | कुल लाभान्वित | छात्राएँ | कुल लाभान्वित | छात्राएँ | कुल लाभान्वित | छात्राएँ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | अजमेर | 1959 | 506 | 2658 | 811 | 2023 | 742 | 900 | 152 |
| 2 | भरतपुर | 1078 | 540 | 1868 | 409 | 1227 | 149 | 3176 | 546 |
| 3 | बून्दी | 2042 | 264 | 2269 | 377 | 293 | 50 | 606 | 192 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 1620 | 340 | 1518 | 418 | 1521 | 353 | 1469 | 529 |
| 5 | जैसलमेर | 265 | 36 | 217 | 29 | 194 | 31 | 263 | 15 |
| 6 | राजसमन्द | 836 | 167 | 698 | 195 | 449 | 133 | 825 | 302 |
| 7 | सीकर | 2891 | 554 | 2982 | 710 | 2658 | 695 | 2684 | 701 |
| | **योग :** | **10691** | **2407** | **12210** | **2949** | **8365** | **2153** | **9923** | **2437** |

.....निरन्तर

| क्र. सं. | चयनित जिले | राजकीय/गैर राजकीय महाविद्यालय | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | | 2004–05 | | 2005–06 | | 2006–07 | |
| | | कुल लाभान्वित | छात्राएँ | कुल लाभान्वित | छात्राएँ | कुल लाभान्वित | छात्राएँ | कुल लाभान्वित | छात्राएँ |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | अजमेर | 2884 | 489 | 3633 | 651 | 2907 | 568 | 4083 | 875 |
| 2 | भरतपुर | 3695 | 720 | 3713 | 683 | 3565 | 1057 | 3932 | 619 |
| 3 | बून्दी | 1465 | 140 | 1529 | 265 | 1562 | 223 | 1565 | 357 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 309 | 22 | 380 | 30 | 218 | 22 | 385 | 49 |
| 5 | जैसलमेर | 149 | 13 | 180 | 21 | 236 | 59 | 661 | 114 |
| 6 | राजसमन्द | 140 | 1 | 196 | 7 | 213 | 20 | 239 | 76 |
| 7 | सीकर | 1353 | 220 | 2204 | 430 | 2196 | 616 | 2851 | 940 |
| | **योग :** | **9925** | **1945** | **11835** | **2505** | **10897** | **2918** | **13716** | **3459** |

2.6.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि चयनित 7 जिलों में राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में वर्ष 2003–04 में कुल लाभान्वित 10691 में से 2407 (22.5 प्रतिशत) छात्राओं को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2004–05 में कुल लाभान्वित 12210 में से 2949(24.2 प्रतिशत), वर्ष 2005–06 में कुल लाभान्वित 8365 में से 2153(25.7 प्रतिशत) छात्राओं को एवं वर्ष 2006–07 में 9923 लाभान्वितों में से 2437(24.6 प्रतिशत) छात्रा लाभान्वित हुयी।

2.6.3 राजकीय/निजी महाविद्यालयों में वर्ष 2003–04 में 9925 लाभान्वितों में से 1945(19.6 प्रतिशत) छात्राओं को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2004–05 में 11835 कुल लाभान्वितों में से 2505 (21.2 प्रतिशत) वर्ष 2005–06 में 10897 में से 2918 (26.8 प्रतिशत) एवं 2006–07 में कुल लाभान्वित 13958 विद्यार्थियों में से 3459 (24.2 प्रतिशत) छात्राओं को लाभान्वित किया जाना पाया गया।

———

# अध्याय–तृतीय

# अध्ययन परिणाम

3.0 योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के कक्षा 11 व 12 एवं महाविद्यालयों के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्ति का विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार एवं उपयोगिता का आंकलन करना है। उद्धेश्य की पूर्ति हेतु एवं योजना के भौतिक सत्यापन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति का उपयोग करते हुए साधारण न्यादर्श पद्धति द्वारा प्रत्येक सम्भाग से एक जिले का चयन किया गया एवं प्रत्येक चयनित जिले से अधिकतम लाभार्थियों वाले 2–2 महाविद्यालय एवं विद्यालयों का चयन किया गया। मूल्यांकन दल द्वारा जिला स्तर, महाविद्यालय एवं विद्यालय स्तर पर संबंधित लाभार्थियों, विभाग के अधिकारियों, गैर अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों से साक्षात्कार एवं विचार–विमर्श कर योजना की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई एवं उपयोगिता बढ़ाने हेतु सुझाव भी प्राप्त किये गये, जो निष्कर्ष रूप में इस अध्याय में वर्णित किये जा रहे हैं। अध्ययन न्यादर्श निम्नानुसार रखा गया :–

3.0.1 अध्ययन परिणाम हेतु चयनित 7 जिलों क्रमशः अजमेर, भरतपुर, बून्दी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमन्द एवं सीकर के 2–2 विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत 406 लाभार्थियों एवं 46 सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों से प्राप्त जानकारी एवं अन्वेषकों के अवलोकन पर आधारित है। योजना के प्रभाव को जानने हेतु भौतिक सत्यापन के साथ ही योजना से लाभान्वित व्यक्तियों एवं कार्यकारी वर्ग से सम्पर्क कर योजना के प्रत्येक बिन्दु पर चर्चा कर उनका विश्लेषण किया गया है।

## 3.1 योजनान्तर्गत लाभार्थियों की प्रतिक्रिया :

3.1.1 अध्ययन हेतु चयनित 7 जिलों के 406 लाभार्थियों से योजना के क्रियान्वयन एवं उपयोगिता के बारे में विचार प्राप्त किये गये। मूल्यांकन दल द्वारा लाभार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक स्तर, व्यावसायिक स्थिति एवं योजना के संबंध में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

## 3.2 जाति :

3.2.1 योजनान्तर्गत चयनित 406 लाभार्थियों में से 268 अनुसूचित जाति 138 अनु. जनजाति के पाये गये। जिलेवार/ विद्यालय एवं महाविद्यालयवार विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है :–

## जिलेवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के चयनित लाभार्थियों की संख्या

| क्र. सं. | चयनित जिलों के नाम | विद्यालय (सरकारी/गैर सरकारी) | | | महाविद्यालय (सरकारी/गैर सरकारी) | | | कुल उत्तरदाता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनु. जाति | अनु. जनजाति | योग | अनु. जाति | अनु. जनजाति | योग | |
| 1 | अजमेर | 29 | 10 | 39 | 13 | 7 | 20 | 59 |
| 2 | भरतपुर | 29 | 5 | 34 | 21 | 23 | 44 | 78 |
| 3 | बून्दी | 11 | 9 | 20 | 21 | 19 | 40 | 60 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 34 | 3 | 37 | 28 | 2 | 30 | 67 |
| 5 | जैसलमेर | 13 | 7 | 20 | — | 20 | 20 | 40 |
| 6 | राजसमन्द | 10 | — | 10 | 17 | 15 | 32 | 42 |
| 7 | सीकर | 15 | 5 | 20 | 27 | 13 | 40 | 60 |
| | **योग :** | **141** | **39** | **180** | **127** | **99** | **226** | **406** |

3.2.2 उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि चयनित 7 जिलों में कुल विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर चयनित 406 लाभार्थियों में से 268 (66.0 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जाति एवं 138(34.0 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जनजाति के चयनित किये गये। अध्ययन रूपांकन अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 280–280 लाभार्थी अनुसूचियाँ भरी जानी थी परन्तु पात्र लाभार्थियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुसूचियाँ कम भरी गई।

### 3.3 आर्थिक परिवेश :

3.3.1 लाभार्थियों से उनके अभिभावक/संरक्षक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार पाया गया :–

अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय का विवरण

(राशि रूपयों में)

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | कुल उत्तरदाता | वार्षिक आय | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25000 से कम | 25000 से 50000 | 50000 से 75000 | 75000 से 100000 |
| 1 | अजमेर | 59 | 11 | 27 | 10 | 11 |
| 2 | भरतपुर | 78 | — | 38 | 30 | 10 |
| 3 | बून्दी | 60 | 34 | 23 | 2 | 1 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 67 | 11 | 41 | 12 | 3 |
| 5 | जैसलमेर | 40 | 6 | 16 | 8 | 10 |
| 6 | राजसमन्द | 42 | 24 | 12 | 3 | 3 |
| 7 | सीकर | 60 | 30 | 26 | 1 | 3 |
| | **योग :** | **406** | **116** | **183** | **66** | **41** |

3.3.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुल 406 लाभार्थियों में से 116(28.6 प्रतिशत) लाभार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 25000 से कम, 183(45.1 प्रतिशत) की 25000 से 50000, 66(16.3 प्रतिशत) की 50000 से 75000, 41(10.1 प्रतिशत) की 75000 से 100000 रूपये पाई गई।

3.4 **शैक्षणिक स्तर** :

3.4.1 चयनित 406 लाभार्थियों के शैक्षणिक स्तर का विवरण निम्न सारिणी में दिया जा रहा है :–

## लाभार्थियों का शैक्षणिक स्तर

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | कुल उत्तरदाता | विद्यालय स्तर पर | | महाविद्यालय स्तर पर | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12वीं में अध्ययनरत | कुल उत्तरदाता संख्या | स्नातक स्तर तक | स्नातकोत्तर | बी.एड़. | एल. एल.बी. |
| 1 | अजमेर | 39 | 39 | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 2 | भरतपुर | 34 | 34 | 44 | 40 | 4 | — | — |
| 3 | बून्दी | 20 | 20 | 40 | 38 | 2 | — | — |
| 4 | हनुमानगढ़ | 37 | 37 | 30 | 28 | 2 | — | — |
| 5 | जैसलमेर | 20 | 20 | 20 | 13 | 7 | — | — |
| 6 | राजसमन्द | 10 | 10 | 32 | 28 | 4 | — | — |
| 7 | सीकर | 20 | 20 | 40 | 28 | 12 | — | — |
| | **योग :** | **180** | **180** | **226** | **185** | **38** | **2** | **1** |

3.4.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित सभी जिलों के सभी विद्यालय एवं महाविद्यालयों के लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का पूरा ध्यान रखा गया है। विद्यालय स्तर पर शत प्रतिशत लाभार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत पाये गये।

3.4.3 महाविद्यालय स्तर पर कुल चयनित 226 विद्यार्थियों में से 185(81.9 प्रतिशत) स्नातक स्तर तक, 38(16.8 प्रतिशत) स्नातकोत्तर, 2(0.9 प्रतिशत) बी.एड़. एवं शेष 1(0.40 प्रतिशत) लाभार्थी एल.एल.बी. में अध्ययन करते हुए पाये गये।

### 3.5 छात्रावास सुविधा :

3.5.1 लाभार्थियों से छात्रावास सुविधा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त सूचना के आधार पर वस्तुस्थिति निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट है :–

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | विद्यालय स्तर पर | | | | | | महाविद्यालय स्तर पर | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डेस्कालर | छात्रावासी | योग | यदि छात्रावासी हैं तो राजकीय छात्रावास में है | | | डेस्कालर | छात्रावासी | योग | यदि छात्रावासी तो राजकीय छात्रा है | | यदि नहीं | | | |
| | | | | | हाँ | नहीं | | | | | हाँ | नहीं | | किराये का कमरा | निजी छात्रावास | प्राईवेट छात्रावास |
| 1 | अजमेर | 39 | — | 39 | — | — | 39 | 20 | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | भरतपुर | 34 | — | 34 | — | — | 34 | 22 | 22 | 44 | — | 22 | — | 15 | 7 | — |
| 3 | बून्दी | 20 | — | 20 | — | — | 20 | 27 | 13 | 40 | — | 13 | — | 13 | — | — |
| 4 | हनुमानगढ़ | 37 | — | 37 | — | — | 37 | 25 | 5 | 30 | — | 5 | 5 | — | — | — |
| 5 | जैसलमेर | 20 | — | 20 | — | — | 20 | 10 | 10 | 20 | 9 | 1 | 1 | — | — | — |
| 6 | राजसमन्द | 8 | 2 | 10 | 2 | — | 8 | 20 | 12 | 32 | 2 | 10 | — | — | — | 10 |
| 7 | सीकर | 20 | — | 20 | — | — | 20 | 40 | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| | **योग :** | **178** | **2** | **180** | **2** | **—** | **178** | **164** | **62** | **226** | **11** | **51** | **6** | **28** | **7** | **10** |

3.5.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय स्तर पर चयनित 180 लाभार्थियों में 178 (98.8 प्रतिशत) लाभार्थी डेस्कालर तथा शेष 2 (1.2 प्रतिशत) लाभार्थी छात्रावासी पाये गये। दोनो छात्रावासी लाभार्थी राजसमन्द जिले के पाये गये एवं दोनों छात्रावासी विद्यार्थियों को राजकीय छात्रावास की सुविधा होना पाया गया।

3.5.3 महाविद्यालय स्तर पर अध्ययन हेतु चयनित 7 जिलों के 226 लाभार्थियों में से 164(72.6 प्रतिशत) डेस्कालर एवं शेष 62(27.4 प्रतिशत) छात्रावासी पाये गये। 62 छात्रावासी विद्यार्थियों में से सिर्फ 11 लाभार्थियों को राजकीय छात्रावास की सुविधा प्राप्त थी। शेष 51 विद्यार्थियों में से 6(11.8 प्रतिशत) लाभार्थी अनुमोदित छात्रावास में, 28(54.9 प्रतिशत) किराये के कमरे में, 7(13.7 प्रतिशत) कॉलेज के निजी छात्रावास में तथा शेष 10(19.6 प्रतिशत) लाभार्थी कॉलेज के बाहर प्राईवेट हॉस्टल में रहते हुए पाये गये।

### 3.6 छात्रवृत्ति फॉर्म उपलब्धता एवं जमा कराने में समयान्तराल :

3.6.1 चयनित लाभार्थियों से आवेदन फार्म उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् कितने दिनों बाद जमा कराये गये, के बारे में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट है :–

## आवेदन फॉर्म उपलब्ध एवं जमा कराने का समयान्तराल

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | राजकीय/निजी विद्यालय | | | | राजकीय/निजी महाविद्यालय | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उत्तरदाता संख्या | एक माह से कम | 1 माह | 2 माह | उत्तरदाता संख्या | एक माह से कम | 1 माह | 2 माह |
| 1 | अजमेर | 39 | — | 39 | — | 20 | 11 | 9 | — |
| 2 | भरतपुर | 34 | — | — | 34 | 44 | 1 | 13 | 30 |
| 3 | बून्दी | 20 | 20 | — | — | 40 | 18 | 22 | — |
| 4 | हनुमानगढ़ | 37 | 3 | 34 | — | 30 | 9 | 20 | 1 |
| 5 | जैसलमेर | 20 | 20 | — | — | 20 | 20 | — | — |
| 6 | राजसमन्द | 10 | 8 | 2 | — | 32 | 15 | 17 | — |
| 7 | सीकर | 20 | 3 | 17 | — | 40 | 19 | 21 | — |
| | **योग :** | **180** | **54** | **92** | **34** | **226** | **93** | **102** | **31** |

3.6.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजकीय/निजी विद्यालय एवं महाविद्यालयों के सभी चयनित 180 लाभार्थियों में से 54 (30 प्रतिशत) लाभार्थियों ने जिस माह फॉर्म प्राप्त हुए उसी माह अर्थात 1 माह से भी कम समय में छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करवा दिया जाना अवगत कराया। अधिकतम 92 (51.1 प्रतिशत) ने फॉर्म प्राप्ति के 1 माह बाद एवं शेष 34(18.9 प्रतिशत) ने फॉर्म प्राप्ति के 2 माह बाद छात्रवृत्ति फॉर्म जमा कराना अवगत कराया।

3.6.3 राजकीय/निजी महाविद्यालय स्तर पर चयनित 226 लाभार्थियों में से 93(41.2 प्रतिशत) ने फॉर्म प्राप्ति के एक माह से कम, 102 (45.1 प्रतिशत) ने एक माह एवं शेष 31 (13.7 प्रतिशत) ने 2 माह की अवधि में फॉर्म जमा करवाना अवगत कराया।

### 3.7 आवेदन फॉर्म जमा कराने एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति में समयान्तराल :

3.7.1 सर्वेक्षण के दौरान लाभार्थियों से छात्रवृत्ति फॉर्म जमा कराने के बाद छात्रवृत्ति स्वीकृति कब प्राप्त हुई, के बारे में प्राप्त सूचना निम्न सारिणी द्वारा स्पष्ट है :–

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | फॉर्म जमा कराने एवं स्वीकृति प्राप्ति का समयान्तराल | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विद्यालय स्तर | | | | महाविद्यालय स्तर | | | |
| | | चयनित लाभार्थी | 3 माह से कम | 3 से 6 माह | 6 से 9 माह | चयनित लाभार्थी | 3 माह से कम | 3 से 6 माह | 6 से 9 माह |
| 1 | अजमेर | 39 | — | — | 39 | 20 | 20 | — | — |
| 2 | भरतपुर | 34 | 34 | — | — | 44 | 44 | — | — |
| 3 | बून्दी | 20 | — | — | 20 | 40 | — | 20 | 20 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 37 | — | — | 37 | 30 | — | — | 30 |
| 5 | जैसलमेर | 20 | — | — | 20 | 20 | — | — | 20 |
| 6 | राजसमन्द | 10 | — | 10 | — | 32 | 20 | 12 | — |
| 7 | सीकर | 20 | 12 | 8 | — | 40 | — | — | 40 |
| | **योग :** | **180** | **46** | **18** | **116** | **226** | **84** | **32** | **110** |

3.7.2 उपरोक्त सारिणी यह दर्शाती है कि विद्यालय स्तर पर चयनित 180 लाभार्थियों में से 116 (65 प्रतिशत) एवं महाविद्यालय स्तर के 226 लाभार्थियों में से 110(49 प्रतिशत) ने सत्रावसान के आसपास छात्रवृत्ति वितरित करना अवगत कराया। अजमेर के 39 लाभार्थियों ने अगस्त माह में फॉर्म जमा करवाये एवं मार्च माह में यानि 7 माह बाद छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की गई। इसी प्रकार महाविद्यालय स्तर पर जनवरी–फरवरी माह में फॉर्म जमा करवाये गये एवं 2 माह बाद माह मार्च में छात्रवृति राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई।

3.7.3 भरतपुर जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सभी लाभार्थियों द्वारा नवम्बर माह में फॉर्म जमा करवाये गये एवं जनवरी माह में (2 माह) छात्रवृत्ति स्वीकृत होनी पाई गई।

3.7.4 बून्दी जिले में विद्यालयों एवं निजी महाविद्यालयों में आवेदन फॉर्म तो सत्र प्रारम्भ होते ही यानि जुलाई माह में जमा करा दिये गये परन्तु राशि सत्रावसान के समय माह मार्च अप्रेल में स्वीकृत की जानी पाई गई। राजकीय महाविद्यालयों के 20 लाभार्थी छात्रों ने अवगत कराया कि उन्हें आवेदन फॉर्म अक्टूबर में उपलब्ध कराये गये। अतः फॉर्म नवम्बर में जमा करा दिये गये एवं छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति 6 माह बाद यानि अप्रेल–मई माह में प्राप्त हुई।

3.7.5 हनुमानगढ़ जिले के विद्यालयी लाभार्थियों ने अगस्त माह में फॉर्म जमा कराना एवं मार्च माह में (7माह बाद) राशि स्वीकृत होना अवगत कराया। इसी प्रकार महाविद्यालय स्तर पर लाभार्थियों ने अवगत कराया कि आवेदन फॉर्म सितम्बर–अक्टूबर माह में जमा करवाये एवं छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति मार्च माह में यानि 6 माह बाद प्राप्त हुई।

3.7.6 जैसलमेर के विद्यालयी लाभार्थियों को आवेदन फॉर्म जमा कराने के लगभग छः माह बाद छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति प्राप्त होना अवगत कराया। उन्होंने आवेदन फॉर्म तो सत्र प्रारम्भ होते ही जुलाई माह में जमा करा दिये थे परन्तु छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति मार्च माह में प्राप्त हुई। इसी प्रकार महाविद्यालयों के लाभार्थियों ने सितम्बर माह में फॉर्म जमा करवाये एवं मार्च माह में लगभग 6 माह बाद छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत होना अवगत कराया।

3.7.7 राजसमन्द जिले के विद्यालयी लाभार्थियों ने आवेदन फॉर्म जुलाई माह में एवं स्वीकृति 6 माह बाद मार्च माह में प्राप्त होना अवगत कराया। महाविद्यालय स्तर के राजकीय महाविद्यालयों में 20 लाभार्थियों ने अगस्त–सितम्बर में एवं निजी महाविद्यालयों के 12 लाभार्थियों ने नवम्बर माह में फॉर्म जमा करवाना एवं क्रमशः 2 माह बाद अक्टूबर में एवं 4 माह बाद अप्रेल में छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की सूचना प्राप्त होना अवगत कराया।

3.7.8 सीकर जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लाभार्थियों ने आवेदन फॉर्म सितम्बर माह में जमा करवाना अवगत कराया। विद्यालय स्तर के 12 लाभार्थियों ने 1 माह बाद यानि अक्टूबर में एवं 8 लाभार्थियों ने 5 माह बाद मार्च माह में स्वीकृति प्राप्त होना अवगत कराया। इसी प्रकार राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लाभार्थियों ने सितम्बर–अक्टूबर में फॉर्म जमा करवाना एवं अप्रेल–मई माह में लगभग 6 माह बाद स्वीकृति प्राप्त होना अवगत कराया।

3.7.9 निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि चयनित सभी 7 जिलों में फॉर्म चाहे जुलाई में जमा करवाये हों या नवम्बर में परन्तु छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति सत्रावसान के समय ही, माह जनवरी से मार्च के मध्य में प्राप्त हुई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं धनराशि वितरण के लिए निर्धारित कलेण्डर की किसी स्तर पर भी पालना किया जाना ज्ञात नहीं हुआ है। समय सारिणी अनुसार सितम्बर माह तथा नामांकन बन्द होने के 1 माह बाद स्वीकृति जारी हो जानी चाहिए। इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने के एक माह में नवीनीकरण छात्रवृत्ति एवं स्वीकृति जारी होने के दो सप्ताह के भीतर या अक्टूबर माह में नवीन छात्रवृत्ति की

प्रथम किश्त का वितरण हो जाना चाहिए। आगामी किश्त मासिक/द्विमासिक एवं अन्तिम किश्त सत्रावसान के 1 माह पूर्व वितरित कर दी जानी चाहिये। अतः सुझाव है कि विभाग द्वारा जारी किये गये कलेण्डर की अनुपालना सुनिश्चित कर इस योजना को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन–पत्रों की जाँच, स्वीकृति कार्यवाही एवं विवरण कार्यवाही हेतु कम्प्यूटर द्वारा रिकॉर्ड संधारित कराये जाने हेतु संविदाकर्मियों को लगाया जा सकता है। जिसका Processing Charges केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

### 3.8 राजकीय/निजी विद्यालयों के दिवसीय लाभार्थी को प्राप्त छात्रवृत्ति राशि :

3.8.1 राजकीय/निजी विद्यालयों के दिवसीय लाभार्थी छात्रों को प्रति छात्र प्राप्त नवीन छात्रवृत्ति राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

**राजकीय/निजी विद्यालयों के दिवसीय लाभार्थी को प्राप्त छात्रवृत्ति राशि**

**(राशि रूपयों में)**

| क्र. सं. | जिले का नाम | राजकीय विद्यालय | | | | | निजी विद्यालय | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लाभार्थी संख्या | कुल छात्रवृत्ति राशि | प्रति लाभार्थी प्राप्त राशि | निर्धारित मानदण्ड | प्रति लाभार्थी मानदण्डानुसार कम राशि | लाभार्थी संख्या | कुल छात्रवृत्ति राशि | प्रति लाभार्थी प्राप्त राशि | निर्धारित मानदण्ड | प्रति लाभार्थी मानदण्डानुसार कम राशि |
| 1 | अजमेर | 20 | 2240 | 1120 | 1400 | 280 | 19 | 21280 | 1120 | 1400 | 280 |
| 2 | भरतपुर | 20 | 7560 | 378 | 1400 | 1022 | 14 | 6440 | 460 | 1400 | 940 |
| 3 | बून्दी | 20 | 25400 | 1170 | 1400 | 230 | 17 | 9520 | 560 | 1400 | 840 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 20 | 18060 | 903 | 1400 | 497 | – | – | – | – | – |
| 5 | जैसलमेर | 20 | 19180 | 959 | 1400 | 441 | – | – | – | – | – |
| 6 | राजसमन्द | 10 | 8400 | 840 | 1400 | 560 | – | – | – | – | – |
| 7 | सीकर | 20 | 16800 | 840 | 1400 | 560 | – | – | – | – | – |

3.8.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि योजनान्तर्गत प्रति दिवसीय छात्र को वार्षिक छात्रवृत्ति राशि 1400 वितरित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए एवं दिवसीय छात्रों को वितरित राशि का आंकलन करने हेतु संबंधित विद्यालय/लाभार्थी से सूचना प्राप्त करने पर पाया गया कि राजकीय विद्यालय में प्रतिवर्ष प्रति छात्र औसतन 751 रूपये जो कि 378 रूपये से

1170 रूपये की सीमा एवं निजी विद्यालयों में औसतन 745 रूपये जो कि 460 रूपये से 1120 रूपये की सीमा में छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई है, जो निर्धारित मानदण्ड से राजकीय विद्यालयों में 1022 रूपये से 230 रूपये एवं निजी विद्यालयों में 940 रूपये से 280 रूपये की सीमा तक कम राशि वितरित किया जाना पाया गया। इस स्थिति पर छात्रों में असन्तोष पाया गया एवं निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार राशि उपलब्ध कराने पर सभी लाभार्थियों ने सहमति व्यक्त की। संस्था प्रधानों से स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर उन्होने अवगत कराया कि विभाग द्वारा जारी राशि का पात्र छात्रों में आनुपातिक वितरण किया जाता है। मांग राशि के अनुरूप बजट राशि प्राप्त नहीं होने के कारण मानदण्डानुसार छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं होने के कारण मानदण्डानुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाता एवं बजट स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण छात्रवृत्ति राशि समय पर वितरित नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में लाभार्थी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर नहीं कर पाता है।

### 3.9 राजकीय/निजी महाविद्यालयों के लाभार्थियों को प्राप्त छात्रवृत्ति :

3.9.1 चयनित सात जिलों में संदर्भित (2003–04 से 2006–07) चार वर्षों में प्रति लाभार्थी छात्रवृत्ति राशि का विवरण निम्न तालिकाओं में दिया जा रहा है।

**राजकीय महाविद्यालयों में प्रति लाभार्थी छात्रवृत्ति राशि का विवरण**

**(राशि रूपयों में)**

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | दिवसीय | | | | | छात्रावासी | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल लाभार्थी | कुल छात्रवृत्ति राशि | निर्धारित मानदण्ड | प्रति लाभार्थी छात्रवृत्ति राशि | मानदण्ड से कम | कुल लाभार्थी | कुल छात्रवृत्ति राशि | निर्धारित मानदण्ड राशि | प्रति लाभार्थी छात्रवृत्ति राशि | मानदण्ड से कम |
| 1 | अजमेर | 10 | 14000 | 1850 | 1400 | 450 | – | – | – | – | – |
| 2 | भरतपुर | 10 | 15470 | 1850 | 1547 | 303 | 14 | 37333 | 3550 | 2666 | 884 |
| 3 | बून्दी | 7 | 12900 | 1850 | 1843 | 7 | 13 | 35180 | 3550 | 2706 | 844 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 11 | 20300 | 1850 | 1845 | 5 | 4 | 10985 | 3550 | 2746 | 804 |
| 5 | जैसलमेर | 10 | 11200 | 1850 | 1120 | 730 | 10 | 24000 | 3550 | 2400 | 1150 |
| 6 | राजसमन्द | 18 | 26160 | 1850 | 1453 | 397 | 2 | 6500 | 3550 | 3250 | 300 |
| 7 | सीकर | 20 | 27860 | 1850 | 1393 | 457 | – | – | – | – | – |

## निजी महाविद्यालयों में प्रति लाभार्थी छात्रवृत्ति राशि

(राशि रूपयों में)

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | दिवसीय छात्रवृत्ति | | | | | छात्रावासी छात्रवृत्ति | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल लाभार्थी संख्या | कुल छात्रवृत्ति राशि | निर्धारित मानदण्ड राशि | प्रति लाभार्थी छात्रवृत्ति राशि | मानदण्ड से कम | कुल लाभार्थी संख्या | कुल छात्रवृत्ति राशि | निर्धारित मानदण्ड राशि | प्रति लाभार्थी छात्रवृत्ति राशि | मानदण्ड से कम |
| 1 | अजमेर | 10 | 11200 | 1850 | 1120 | 730 | — | — | — | — | — |
| 2 | भरतपुर | 12 | 22150 | 1850 | 1845 | 5 | 8 | 28100 | 3550 | 3512 | 38 |
| 3 | बून्दी | 20 | 24570 | 1850 | 1228 | 622 | — | — | — | — | — |
| 4 | हनुमानगढ़ | 14 | 25760 | 1850 | 1840 | 10 | 1 | 1400 | 3550 | 1400 | 2150 |
| 5 | जैसलमेर | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | राजसमन्द | 2 | 3500 | 1850 | 1750 | 100 | 10 | 35000 | 3550 | 3500 | 50 |
| 7 | सीकर | 20 | 28450 | 1850 | 1423 | 427 | — | — | — | — | — |

3.9.2 उक्त तालिका द्वारा यह स्पष्ट होता है कि दिवसीय छात्रों को प्रति वर्ष नवीन नामांकन के लिए 1850 एवं छात्रावासी लाभार्थी को प्रति वर्ष नवीन नामांकन के लिए 3550 दिए जाने का प्रावधान है।

3.9.3 उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि राजकीय महाविद्यालयों के दिवसीय लाभार्थियों को निर्धारित मानदण्ड से 730 से 5 की सीमा में एवं छात्रावासी लाभार्थी को 1150 से 300 की सीमा में कम छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई है।

3.9.4 निजी महाविद्यालयों के दिवसीय लाभार्थी को निर्धारित मानदण्ड से 730 से 5 की सीमा में एवं छात्रावासी लाभार्थी को 2150 से 38 की सीमा में कम छात्रवृत्ति दिया जाना पाया गया। अतः सुझाव है कि पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित मानदण्डानुसार ही छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए संस्थाओं की मांग राशि के अनुसार बजट आवंटित किया जावे ताकि योजना का उद्धेश्य फलीभूत हो सके।

### 3.10 **अन्य परिलाभ** :

3.10.1 चयनित 7 जिलों के 406 चयनित लाभार्थियों से छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य परिलाभ जैसे फीस पुनर्भरण, शैक्षणिक भ्रमण भत्ता, पुस्तक भत्ता, बुक बैंक सुविधा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई। शत प्रतिशत लाभार्थियों ने सूचित किया कि फीस पुनर्भरण के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी भी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया। लाभार्थियों को प्राप्त फीस पुनर्भरण का विवरण निम्न सारिणी से स्पष्ट है :–

## राजकीय महाविद्यालयों में फीस पुनर्भरण राशि का विवरण

(राशि रूपयों में)

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | कुल लाभार्थी संख्या | फीस पुनर्भरण की राशि | प्रति लाभार्थी फीस पुनर्भरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 10 | — | — |
| 2 | भरतपुर | 24 | 24654 (20) | 1232 |
| 3 | बून्दी | 20 | 28221 (20) | 1411 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 15 | 7545 (4) | 1893 |
| 5 | जैसलमेर | 20 | 21850 (20) | 1092 |
| 6 | राजसमन्द | 20 | 13420 (20) | 671 |
| 7 | सीकर | 20 | 1404 (18) | 78 |

## निजी महाविद्यालयों में फीस पुनर्भरण राशि का विवरण

(राशि रूपयों में)

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | कुल लाभार्थी संख्या | फीस पुनर्भरण की राशि | प्रति लाभार्थी फीस पुनर्भरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 10 | — | — |
| 2 | भरतपुर | 20 | 19380 (16) | 1211 |
| 3 | बून्दी | 20 | 37500 (20) | 1875 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 15 | 3836 (10) | 383 |
| 5 | जैसलमेर | — | — | — |
| 6 | राजसमन्द | 12 | 316290 (12) | 26357 |
| 7 | सीकर | 20 | 16270 (8) | 2033 |

3.10.2 उपरोक्त सारणियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित 7 जिलों के राजकीय महाविद्यालयों में 1893 से 78 रूपये की सीमा में एवं निजी महाविद्यालयों में 26357 से 383 की सीमा में फीस पुनर्भरण किया जाना पाया गया। राजसमन्द जिले के लाभार्थियों को फीस पुनर्भरण राशि छात्रवृत्ति राशि से बहुत ज्यादा दिया जाना पाया गया, जबकि चयनित सभी जिलों के राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लाभार्थी छात्रों को छात्रवृत्ति राशि निर्धारित मानदण्ड से कम दी जानी पाई गई।

3.10.3 अतः सुझाव है कि चूंकि योजना का मुख्य उद्धेश्य छात्रवृत्ति दिया जाना है। अतः पहले निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार छात्रवृत्ति राशि दी जानी चाहिये। उसके पश्चात् यदि बजट शेष रहता है तो फीस पुनर्भरण किया जाना प्रस्तावित है।

### 3.11 छात्रवृत्ति राशि का व्यय :

3.11.1 छात्रवृत्ति से प्राप्त राशि का व्यय किस मद पर खर्च करते हैं, के बारे में शत प्रतिशत लाभार्थियों ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे खरीदने आदि के लिए करते हैं। यानि छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग पढ़ाई/शिक्षण पर ही खर्च करना अवगत कराया। 10 प्रतिशत विद्यार्थियों ने यह भी अवगत कराया कि प्राप्त राशि का उपयोग अभिभावक उनके शिक्षण पर खर्च करने के साथ–साथ कुछ राशि का व्यय घर खर्च में भी करते हैं।

### 3.12 छात्रवृत्ति की उपयोगिता :

3.12.1 लाभार्थियों से यह जानकारी भी प्राप्त की गई कि छात्रवृत्ति के अभाव में उनके शिक्षण कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ? क्या उनका अध्ययन जारी रह पाता ? इस संबंध में लाभार्थियों से प्राप्त विचार निम्न सारिणी द्वारा स्पष्ट है :–

**लाभार्थियों पर छात्रवृत्ति का प्रभाव**

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | विद्यालय स्तर पर | | | महाविद्यालय स्तर पर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल चयनित लाभार्थी संख्या | हाँ | नहीं | चयनित लाभार्थी संख्या | हाँ | नहीं |
| 1 | अजमेर | 39 | 4 | 35 | 20 | 9 | 11 |
| 2 | भरतपुर | 34 | 17 | 17 | 44 | 22 | 22 |
| 3 | बून्दी | 20 | 19 | 1 | 40 | 18 | 22 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 37 | 37 | – | 30 | 30 | – |
| 5 | जैसलमेर | 20 | 10 | 10 | 20 | 2 | 18 |
| 6 | राजसमन्द | 10 | 8 | 2 | 32 | 1 | 31 |
| 7 | सीकर | 20 | 2 | 18 | 40 | 15 | 25 |
| | **योग :** | **180** | **97** | **83** | **226** | **97** | **129** |

3.12.2 उक्त सारिणी यह दर्शाती है कि विद्यालय स्तर पर चयनित 180 लाभार्थियों में से 97(53.9 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अवगत कराया कि यदि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो भी वे अपना अध्ययन जारी रखते एवं 83 (46.1 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि छात्रवृत्ति के अभाव में वे अपना अध्ययन कार्य जारी नहीं रख पाते। छात्रवृत्ति के कारण ही उनकी पढ़ाई हो पा रही है।

3.12.3 इसी तरह महाविद्यालय स्तर पर चयनित 226 लाभार्थियों में से 97 (42.9 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने बताया कि वे छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर भी अध्ययन जारी रखते एवं शेष 129 (57.1 प्रतिशत) लाभार्थियों से नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ।

छात्रवृत्ति नहीं मिलने की स्थिति अध्ययन कार्य हेतु पैसे की व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर लाभार्थियों द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तर निम्न सारिणी द्वारा दर्शाया जा रहा है :–

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | कुल उत्तरदाता संख्या (अनु.जाति + जनजाति) | एक से अधिक जवाब | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अभिभावक व्यवस्था करते | घरेलू खर्च में कटौती करके | विद्यालय समय के पश्चात् मजदूरी करके | रिश्तेदार/बैंक से उधार लेकर | ट्यूशन द्वारा | योग |
| 1 | अजमेर | 13 | 4 | 2 | 2 | 9 | — | 17 |
| 2 | भरतपुर | 39 | 4 | 37 | 4 | 6 | — | 51 |
| 3 | बून्दी | 37 | 32 | 4 | 1 | 1 | — | 38 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 67 | 16 | 48 | — | 2 | 1 | 67 |
| 5 | जैसलमेर | 12 | — | — | 12 | — | — | 12 |
| 6 | राजसमन्द | 9 | 5 | — | — | 3 | 1 | 9 |
| 7 | सीकर | 17 | 19 | — | 1 | — | — | 20 |
| | **योग :** | **194** | **80** | **91** | **20** | **21** | **2** | **214** |

**(लाभार्थियों द्वारा एक से अधिक उत्तर देने के कारण कुल जवाब उत्तरदाताओं की संख्या से ज्यादा पाये गये)**

3.12.4 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि कुल चयनित 406 लाभार्थियों में से 194 (47.8 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अवगत कराया कि यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती तो भी येन केन प्रकारेण अपना अध्ययन जारी रखते। 194 लाभार्थियों में से 80 (41.7 प्रतिशत) ने बताया कि पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था उनके

अभिभावक ही करते। 91 (47.4 प्रतिशत) ने घरेलू खर्च में कटौती करके, 20 (10.4 प्रतिशत) ने मजदूरी करके, 19(9.9 प्रतिशत) ने बैंक या रिश्तेदारों से उधार लेकर एवं शेष 2(1.0 प्रतिशत) ने ट्यूशन द्वारा पैसा कमाकर पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था करना अवगत कराया। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि आज ग्रामीण लोगों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है एवं येन केन प्रकारेण वे अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं।

### 3.13 बुक बैंक सुविधा :

3.13.1 योजनान्तर्गत विद्यालयों/महाविद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु बुक बैंक सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। चयनित जिलों में विद्यालय एवं महाविद्यालयों के लाभार्थियों द्वारा बुक बैंक के संबंध में प्राप्त विचार निम्न सारिणी में उद्धत है :–

**विद्यालय स्तर पर बुक बैंक सुविधा**

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | कुल चयनित लाभार्थी संख्या | विद्यालय स्तर पर | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बुक बैंक सुविधा | | यदि हाँ तो सुविधा प्राप्त की है ? | |
| | | | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं |
| 1 | अजमेर | 39 | – | 39 | – | – |
| 2 | भरतपुर | 34 | 20 | 14 | 20 | – |
| 3 | बून्दी | 20 | – | 20 | – | – |
| 4 | हनुमानगढ़ | 37 | 37 | – | – | 37 |
| 5 | जैसलमेर | 20 | 20 | – | 20 | – |
| 6 | राजसमन्द | 10 | 10 | – | 4 | 6 |
| 7 | सीकर | 20 | – | 20 | – | – |
| | **योग :** | **180** | **87** | **93** | **44** | **43** |

3.13.2 उक्त सारिणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विद्यालय स्तर पर चयनित 180 विद्यार्थियों में से 87 (48.3 प्रतिशत) लाभार्थियों से सकारात्मक एवं 93(51.7 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ। जिन 87 विद्यार्थियों ने बुक बैंक सुविधा उपलब्ध होना बताया है, उनमें से भरतपुर जिले के सभी 20 लाभार्थी बुक बैंक सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन्होने बताया कि बुक बैंक से पुस्तकें देने के संबंध

में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। चयनित जिले हनुमानगढ़ के भी सभी चयनित 37 लाभार्थियों ने बुक बैंक की सुविधा होना तो बताया लेकिन सभी 37 लाभार्थियों ने बुक बैंक सुविधा का उपयोग नहीं कराना अवगत कराया। जैसलमेर जिले के सभी 20 लाभार्थियों के बुक बैंक सुविधा प्राप्त करना अवगत कराया। लाभार्थियों के द्वारा एक विद्यार्थी को एक सैट मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। राजसमन्द जिले के चयनित 10 लाभार्थियों में 4 लाभार्थियों ने बुक बैंक सुविधा का लाभ प्राप्त करना एवं 6 ने लाभ नहीं लेना अवगत कराया। बुक बैंक सुविधा प्राप्त कर रहे 4 लाभार्थियों ने अवगत कराया कि सत्र प्रारम्भ में पुस्तकें इश्यू करते हैं एवं सत्रावसान पर पुस्तकें जमा करवा देते हैं।

## महाविद्यालय स्तर पर बुक बैंक सुविधा

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | कुल चयनित लाभार्थी संख्या | महाविद्यालय स्तर पर | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बुक बैंक सुविधा | | यदि हाँ तो सुविधा प्राप्त की है ? | |
| | | | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं |
| 1 | अजमेर | 20 | — | 20 | — | — |
| 2 | भरतपुर | 44 | 44 | — | 43 | 1 |
| 3 | बून्दी | 40 | — | 40 | — | — |
| 4 | हनुमानगढ़ | 30 | 26 | 4 | 1 | 25 |
| 5 | जैसलमेर | 20 | 20 | — | 19 | 1 |
| 6 | राजसमन्द | 32 | — | 32 | — | — |
| 7 | सीकर | 40 | — | 40 | — | — |
| | **योग :** | **226** | **90** | **136** | **63** | **27** |

3.13.3 उपरोक्त सारिणी यह दर्शाती है कि चयनित सात जिलों के महाविद्यालय स्तर पर चयनित 226 लाभार्थियों में से 90 (39.8 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बुक बैंक सुविधा का होना एवं 136(60.2 प्रतिशत) ने सुविधा का नहीं होना अवगत कराया। भरतपुर जिले के सभी चयनित 44 लाभार्थियों ने बुक बैंक सुविधा होने की जानकारी दी एवं 43 लाभार्थियों ने बुक बैंक सुविधा प्राप्त करना अवगत कराया। बुक बैंक सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे भरतपुर जिले के 43 लाभार्थियों में से 22(51.2 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अवगत कराया कि पुस्तकें देने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। 19 (44.2 प्रतिशत)

ने बताया कि सिर्फ दो पुस्तकें दी जाती है। 2(4.6 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि एक विद्यार्थी को एक सैट दिया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के चयनित 30 लाभार्थियों में 26(86.7 प्रतिशत) ने सुविधा का होना एवं 4(13.3 प्रतिशत) ने बुक बैंक सुविधा नहीं होना अवगत कराया। हनुमानगढ़ जिले के जिन 26 लाभार्थियों ने बुक बैंक सुविधा होना बताया है उनमें से सिर्फ 1(3.8 प्रतिशत) ने 4 छात्रों के बीच एक सैट सुविधा प्राप्त करना अवगत कराया। जैसलमेर जिले के चयनित 20 लाभार्थियों में से 19(95.0 प्रतिशत) ने बुक बैंक सुविधा होना एवं 1(5.00 प्रतिशत) ने सुविधा नहीं होना अवगत कराया। सभी 19 लाभार्थियों ने अवगत कराया कि बुक बैंक की कॉमन व्यवस्था है एवं लाइब्रेरी में ही उपयोग होता है। सीकर, राजसमन्द, बून्दी एवं अजमेर जिलों के महाविद्यालयों में बुक बैंक सुविधा नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई। सर्वेक्षण के दौरान राजसमन्द जिले के लाभार्थियों ने अवगत कराया कि योजनान्तर्गत बुक बैंक का लाभ कहीं नहीं दिया जा रहा है। यदि कहीं बुक बैंक का लाभ दिया जा रहा है तो वह संस्था के स्तर पर है। विभाग ने बुक बैंक के लिए कोई बजट नहीं दिया है।

3.13.4 अतः सुझाव है कि लाभार्थियों को बुक बैंक से पुस्तकें दिये जाने की समान व्यवस्था लागू की जावे एवं जिन महाविद्यालयों में बुक बैंक सुविधा नहीं है, वहाँ पर बुक बैंक हेतु अलग से बजट दिया जावे।

### 3.14 **कार्यकारी वर्ग की प्रतिक्रिया** :

3.14.1 सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा योजना की उपयोगिता छात्रवृत्ति राशि की पर्याप्त, अन्य भत्ते एवं योजना की उपयोगिता के संबंध में 46 सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों के विचार भी प्राप्त किये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार संकलित है।

### 3.15 **योजना की जानकारी** :

3.15.1 शत प्रतिशत सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों ने योजना के बारे में पूर्ण जानकारी होना अवगत कराया।

### 3.16 **योजनान्तर्गत लाभार्थियों को देय परिलाभ** :

3.16.1 योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित 46 सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों के लाभार्थियों को दिये गये परिलाभ के संबंध में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न सारिणी में दिया जा रहा है :–

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | चयनित कार्यकारी उत्तरदाता संख्या | दिवसीय छात्रवृत्ति | | | | छात्रावासी छात्र | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | हाँ | नहीं | यदि हाँ तो | | हाँ | नहीं | यदि हाँ तो | |
| | | | | | पर्याप्त | अपर्याप्त | | | पर्याप्त | अपर्याप्त |
| 1 | अजमेर | 11 | 11 | — | 11 | — | — | 11 | — | — |
| 2 | भरतपुर | 10 | 10 | — | — | 10 | 6 | 4 | — | 6 |
| 3 | बून्दी | 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | 4 | — | 1 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | — | 2 | 2 |
| 5 | जैसलमेर | 5 | 5 | — | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | राजसमन्द | 6 | 6 | — | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | — |
| 7 | सीकर | 5 | 5 | — | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | — |
| | **योग :** | **46** | **46** | **—** | **20** | **26** | **16** | **30** | **6** | **10** |

3.16.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शत प्रतिशत कार्यकारी वर्ग ने दिवसीय छात्रवृत्ति दिया जाना अवगत कराया। 46 कार्यकारी वर्ग में से 20(43.4 प्रतिशत) ने दिवसीय छात्रवृत्ति राशि को पर्याप्त एवं 26(56.6 प्रतिशत) ने अपर्याप्त बताया।

3.16.3 इसी प्रकार चयनित 46 कार्यकारी वर्ग में से 16(34.8 प्रतिशत) ने छात्रावासी छात्रवृत्ति दिया जाना एवं 30(65.2 प्रतिशत) ने नहीं दिया जाना अवगत कराया। 16 कार्यकारी में से 6(37.5 प्रतिशत) छात्रवृत्ति को पर्याप्त एवं 10(62.5 प्रतिशत) ने अपर्याप्त बताया एवं दिवसीय एवं छात्रावासी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाये जाने की अनुशंषा की।

3.16.4 शत प्रतिशत चयनित कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि लाभार्थियों को योजनान्तर्गत किसी प्रकार का शैक्षणिक भ्रमण भत्ता एवं पुस्तक भत्ता नहीं दिया जाता। विद्यार्थियों से साक्षात्कार करने पर अवगत कराया कि उन्हें शैक्षणिक भ्रमण भत्ता एवं पुस्तक भत्ता स्वीकृत नहीं किया जाता है। योजना के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास हेतु इन मदों में भत्ता स्वीकृत कर लाभान्वित कराया जाना चाहिए।

3.16.5 बुक बैंक सुविधा के संबंध में 46 कार्यकारी वर्ग में से 20 ने सकारात्मक एवं 26 ने नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ। 20 सकारात्मक उत्तर देने वाले कार्यकारी वर्ग में से 16(80 प्रतिशत) ने सुविधा को पर्याप्त एवं 4(20 प्रतिशत) ने अपर्याप्त बताया। 26 नकारात्मक उत्तर देने वाले कार्यकारी वर्ग ने बताया कि योजना के प्रावधानानुसार बुक बैंक सुविधा हेतु राशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित कराया जा सके।

### 3.17 छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र एवं राशि :

3.17.1 योजनान्तर्गत चयनित 46 कार्यकारी वर्ग द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र पर्याप्त मात्रा में एवं समय पर उपलब्ध होने के संबंध में प्राप्त विचार निम्न सारिणी द्वारा उद्धत है :–

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | चयनित कार्यकारी उत्तरदाता | छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र | | | | यदि नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पर्याप्त मात्रा में | | समय पर | | फॉर्मों की फोटो प्रति करवाकर | अन्य विद्यालयों या DEO कार्यालय से प्राप्त करते हैं | छात्र निधी मद से छपवाते हैं |
| | | | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | | | |
| 1 | अजमेर | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | भरतपुर | 10 | 10 | — | 10 | — | — | — | — |
| 3 | बून्दी | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | — | — |
| 4 | हनुमानगढ़ | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| 5 | जैसलमेर | 5 | 5 | — | 5 | — | — | — | — |
| 6 | राजसमन्द | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | — | — | 1 |
| 7 | सीकर | 5 | 5 | — | 5 | — | — | — | — |
| | **योग :** | **46** | **38** | **8** | **39** | **7** | **5** | **1** | **2** |

3.17.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 46 चयनित कार्यकारी वर्ग में से अधिकांश 38(82.6 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति के आवेदन फॉर्म पर्याप्त मात्रा में एवं समय पर उपलब्ध होना बताया एवं शेष 8(17.4 प्रतिशत) ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अतः सुझाव है कि सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व आवेदन फॉर्म मुद्रित करवाना सुनिश्चित करावें एवं पात्र

अभ्यर्थियों को समय पर निःशुल्क आवेदन–फॉर्म उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। 8 में से 5 (62.5 प्रतिशत) के मतानुसार ऐसी स्थिति में फॉर्मों की फोटो प्रति करवाकर 1 (12.5 प्रतिशत) ने अन्य विद्यालयों से प्राप्त कर एवं 2(25.0 प्रतिशत) महाविद्यालय छात्रनिधि मद से आवेदन–पत्र छपवाकर लाभार्थियों को उपलब्ध करवाये जाते हैं।

3.17.3 उपरोक्त सारिणी यह दर्शाती है कि भरतपुर, जैसलमेर एवं सीकर के शत प्रतिशत चयनित कार्यकारी वर्ग ने छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म पर्याप्त मात्रा में एवं समय पर उपलब्ध होना अवगत कराया।

### 3.18 **छात्रवृत्ति राशि** :

3.18.1 अध्ययन हेतु चयनित 7 जिलों के 46 चयनित अधिकारी वर्ग से छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति एवं समय पर प्राप्त होने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

| क्र. सं. | चयनित जिले का नाम | चयनित कार्यकारी उत्तरदाता | शत प्रतिशत राशि स्वीकृत | | स्वीकृत पूर्ण राशि समय पर उपलब्ध करवा दी जाती है | | | | फीस का पुनर्भरण समय पर कर दिया जाता है? | | छात्रावास की पर्याप्त सुविधा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | हाँ | नहीं | शत प्रतिशत | | समय पर | | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं |
| | | | | | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | | | | |
| 1 | अजमेर | 11 | 11 | — | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 2 | भरतपुर | 10 | — | 10 | — | 10 | — | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 3 | बून्दी | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | — | 5 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | जैसलमेर | 5 | 3 | 2 | 5 | — | 5 | — | 2 | 3 | 5 | — |
| 6 | राजसमन्द | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — |
| 7 | सीकर | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| | **योग :** | **46** | **22** | **24** | **23** | **23** | **21** | **25** | **18** | **28** | **15** | **31** |

3.18.2 उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि चयनित 46 अधिकारी वर्ग में से 22 (47.8 प्रतिशत) के मतानुसार शत प्रतिशत राशि स्वीकृत हो जाती है, जबकि 24(52.2 प्रतिशत) ने नकारात्मक उत्तर दिया। इसी प्रकार 23(50.0 प्रतिशत) कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि स्वीकृत की गई शत प्रतिशत राशि समय पर प्राप्त हो जाती है जबकि 23(50.0 प्रतिशत) के मतानुसार स्वीकृत राशि पूर्ण एवं समय पर प्राप्त नहीं होती। कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति की राशि पूर्ण एवं समय पर उपलब्ध नहीं होने से छात्रवृत्ति राशि का वितरण भी समय पर नहीं हो पाया। इससे छात्रों में असन्तोष रहता है, उन्हें पढ़ाई के लिए ऋण/उधार लेना पड़ता है, इससे विद्यार्थियों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। लाभार्थी के विद्यालय छोड़ जाने के बाद भी राशि जारी की जाती है। इस राशि का उपयोग सुनिश्चित होना सम्भव नहीं होता है।

3.18.3 विद्यार्थी द्वारा दी गई फीस के पुनर्भरण के संबंध में चयनित 46 अधिकारी वर्ग में से सिर्फ 18(39.1 प्रतिशत) ने हाँ में उत्तर दिया जबकि शेष 28 (60.9 प्रतिशत) कार्यकारी वर्ग ने फीस का पुनर्भरण समय पर नहीं दिया जाना अवगत कराया। 50 प्रतिशत अधिकारी वर्ग ने बताया कि फीस की राशि का पुनर्भरण 50 प्रतिशत अधिकारी ने अवगत कराया कि राशि अगले वर्ष स्वीकृत होकर आती है एवं स्वीकृत राशि प्राप्त होने में लगभग दो महीने लग जाते हैं। अतः बजट प्राप्त होते ही फीस पुनर्भरण कर दिया जाता है। छात्रावास सुविधा के संबंध में चयनित 46 अधिकारी वर्ग में से सिर्फ 15(32.6 प्रतिशत) ने छात्रावास की सुविधा होना अवगत कराया। शेष 31(67.4 प्रतिशत) के मतानुसार विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। अधिकतम 21(67.7 प्रतिशत) अधिकारियों ने अवगत कराया कि छात्र व्यक्तिगत रूप से कमरा किराये पर लेकर रहने की व्यवस्था करते हैं। 4(12.9 प्रतिशत) ने बताया कि Demand Hostel की व्यवस्था की जाती है जिसमें कम से कम 5 विद्यार्थी के आवास एवं भोजन व्यवस्था एक साथ संचालित की जाती है। भरतपुर के 1(3.2 प्रतिशत) कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में रहते हैं उन्हें किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता। 5(16.2 प्रतिशत) कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि विद्यार्थी आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं एवं घर से ही आते हैं।

### 3.19 छात्रवृत्ति की आवश्यकता एवं प्रभाव :

3.19.1 अध्ययन हेतु चयनित 46 कार्यकारी वर्ग में अधिकतम 44(95.6 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति को लाभार्थियों के लिए आवश्यक बताया जबकि भरतपुर एवं बून्दी के एक–एक कार्यकारी वर्ग ने नकारात्मक उत्तर दिया।

3.19.2 चयनित 46 कार्यकारी वर्ग में से 35(76.1 प्रतिशत) ने अवगत कराया कि यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती तो उनके नामांकन में कमी आती जबकि 11(23.9 प्रतिशत) के मतानुसार छात्रवृत्ति से नामांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

### 3.20 **छात्रवृत्ति का प्रभाव** :

3.20.1 चयनित कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति प्राप्त होने से विद्यार्थी आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। छात्रवृत्ति से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है एवं शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। छात्रवृत्ति से नामांकन में वृद्धि हुई है एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

3.20.2 छात्रवृत्ति प्राप्त होने से रहन–सहन के स्तर में वृद्धि हुई है एवं पढ़ाई से समाज में पहचान बनती है एवं शिक्षित होने से सामाजिक कुरीतियों के निराकरण में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3.20.3 निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि छात्रवृत्ति की पर्याप्तता एवं समय, छात्रावास सुविधा, फीस पुनर्भरण, बुक बैंक सुविधा के संबंध में लाभार्थी एवं कार्यकारी वर्ग के विचारों में समानता दृष्टिगत होती है। अतः विभाग द्वारा छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि, छात्रावास सुविधा में विस्तार, फीस पुनर्भरण समय पर किया जाना एवं बुक बैंक की सुविधा सभी विद्यार्थियों को दिये जाने पर उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

————

# अध्याय–चतुर्थ

# कमियाँ एवं सुझाव

4.0 यह योजना विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। विभागीय सूचना के आधार पर वर्ष 2003–04 से 2006–07 में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को राशि 24836.00 लाख आवंटन के विरूद्ध 21436.22 लाख रूपये व्यय कर 717505 विद्यार्थियों (नवीन व नवीनीकरण) को लाभान्वित किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन बाबत् विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों, लाभार्थी वर्ग से मूल्यांकन विभाग के अधिकारियों/अन्वेषकों द्वारा विचार एकत्र किये गये। राज्य स्तर एवं जिला स्तर से रिकॉर्ड/सूचनाएँ एकत्र की गयी, जिनके आधार पर योजना का प्रभाव, क्रियान्वयन में अनुभूत की गई कमियाँ तथा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु दिये गये सुझावों का क्रमवार विवरण इस अध्याय में दर्शाया जा रहा है :–

(1) **बजट अपर्याप्तता एवं आवंटन में देरी** :

कार्यकारी वर्ग एवं शत प्रतिशत लाभार्थियों ने अवगत कराया कि बजट अपर्याप्त है एवं बजट आवंटन समय पर नहीं हो पाता है।

अतः सुझाव है कि कार्यक्रम के विस्तार एवं उपयोगिता को देखते हुए वित्तीय प्रावधान द्वितीय त्रेमास तक आवश्यक रूप से किये जावें ताकि सत्र के मध्य से छात्रवृत्ति वितरण प्रारम्भ होकर वास्तविक लाभ प्रसारित हो सके।

(2) **स्टाफ की कमी** :

लगभग 80 प्रतिशत लाभार्थी एवं कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति का कार्य करने हेतु अलग से कोई स्टाफ की व्यवस्था नहीं की जाती है, वहाँ पहले से कार्यरत स्टाफ ही अपने कार्य के साथ यह कार्य भी कर रहे हैं। जिससे छात्रवृत्ति वितरण में विलम्ब होता है। योजना छात्रवृत्ति वितरण एवं रिकॉर्ड संधारण हेतु योजनान्तर्गत अलग से स्टाफ नहीं है जिससे कार्य बाधित होता है एवं समय पर सम्पादित नहीं हो पाता है। अतः सुझाव है कि कार्यक्रम के कुशल संचालन हेतु आवेदन–पत्रों की जाँच एवं स्वीकृति प्रक्रिया हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहयोगी योजना पर विचार किया जावे जिसमें प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर कम्प्यूटर कर्मियों द्वारा कार्य निपटाया जावे।

(3) **बुक बैंक का अभाव** :

योजनान्तर्गत बुक बैंक का लाभ अधिकांश संस्थाओं द्वारा नहीं दिया जा रहा है एवं कहीं–कहीं मात्र 2 पुस्तकें ही दी जा रही है। यदि कहीं दिया भी जा रहा है तो वह संस्था के स्तर पर ही। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बुक बैंक हेतु कोई बजट नहीं दिया जाता। अतः विभाग द्वारा बुक बैंक हेतु अलग से बजट प्रावधान दिया जाना प्रस्तावित है।

(4) **छात्रवृत्ति में विलम्ब** :

अधिकांश लाभार्थी वर्ग ने अवगत कराया कि स्वीकृति 6–9 माह बाद प्राप्त होती है एवं छात्रवृत्ति का वितरण सत्रावसान के समय किया जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं धनराशि वितरण के लिए निर्धारित कलेण्डर की किसी स्तर पर भी पालना किया जाना ज्ञात नहीं हुआ है। समय सारिणी अनुसार सितम्बर माह तथा नामांकन बन्द होने के 1 माह बाद स्वीकृति जारी हो जानी चाहिए। इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने के एक माह में नवीनीकरण छात्रवृत्ति एवं स्वीकृति जारी होने के दो सप्ताह के भीतर या अक्टूबर माह में नवीन छात्रवृत्ति की प्रथम किश्त का वितरण हो जाना चाहिए। आगामी किश्त मासिक/द्विमासिक एवं अन्तिम किश्त सत्रावसान के 1 माह पूर्व वितरित कर दी जानी चाहिये। अतः सुझाव है कि विभाग द्वारा जारी किये गये कलेण्डर की अनुपालना सुनिश्चित कर इस योजना को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। लाभार्थी वर्ग के मतानुसार छात्रवृत्ति का वितरण सत्र आरम्भ में ही करवा दिया जावे तो योजना ज्यादा कारगर रहेगी क्योंकि सत्रावसान पर राशि वितरण होने से या तो छात्र संस्था को छोड़ चुके होते हैं या फिर परीक्षा के समय छात्रवृत्ति हेतु चक्कर लगाते रहते हैं। अतः सुझाव है कि समय सीमा में ही छात्रवृत्ति वितरण का कार्य कर दिया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

(5) **आवेदन की जटिल प्रक्रिया** :

छात्रवृत्ति प्राप्ति की प्रक्रिया यथा आवेदन करना, पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज (आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र) तैयार करना आदि कार्यों हेतु छात्र को काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं। अधिकांश छात्रों ने बताया कि आय प्रमाण–पत्र का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है जिसके कारण प्रस्तुत करने में परेशानी होती है एवं फॉर्म अस्वीकृत भी हो जाते हैं जबकि योजना के प्रावधानानुसार अभिभावकों द्वारा नियुक्ताधिकारियों द्वारा आय प्रमाण–पत्र जारी करने की शर्त है, इसे लागू कराया जावे। प्रतिवर्ष नवीन छात्रों का रिकॉर्ड कम्प्यूटराईज्ड़ कराया जावे। आगामी वर्षों में इनसे फॉर्म नहीं भरवाये जावें। संस्थान के प्रवेश फॉर्म में ही कॉलम डाला जावे। इसी आधार पर नवीनीकरण छात्रवृत्ति दी जावे।

(6) **राजकीय एवं निजी संस्थाओं को बजट आवंटन युक्तिसंगत किया जावे** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान योजना हेतु निर्धारित मानदण्ड का अभाव पाया गया। योजनान्तर्गत निजी संस्थाओं को फीस पुनर्भरण एवं अनुरक्षण भत्ता राजकीय संस्थाओं के छात्र–छात्राओं से अधिक पाया गया। प्रायः निजी संस्थाऐं अपनी कार्य कुशलता से अधिक राशि स्वीकृत करवाने में सफल हो जाती है। अतः सुझाव है कि विभाग द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये जावे एवं निजी/सरकारी संस्थाओं सभी सुविधाओं हेतु एक समान बजट स्वीकृत किया जावे एवं निश्चित समय सीमा में छात्रवृत्ति जारी कर दी जावे जिससे आरक्षित छात्र शिक्षा से वंचित न रह सके।

(7) **फीस की राशि का पुनर्भरण** :

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का संबंधित छात्र को भुगतान करते समय उसके द्वारा दी गई फीस का पुनर्भरण भी किया जाता। सभी राजकीय एवं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं की फीस समान है जबकि गैर राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक फीस अलग–अलग हैं। अर्थात (राजकीय विद्यालय एवं गैर राजकीय विद्यालयों) में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को दी गई फीस का पुनर्भरण योजनान्तर्गत किया जाता है। इससे किसी संस्था को बहुत अधिक एवं किसी को कम फीस की राशि का पुनर्भरण होने से छात्रों में असन्तोष है। अतः सुझाव है कि राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं में एक समान राशि के रूप में फीस पुनर्भरण का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(8) **छात्रावासी छात्रवृत्ति** :

योजनान्तर्गत राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रावासी छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। गैर सरकारी विद्यालय/ महाविद्यालयों में शिक्षण संस्था द्वारा विद्यालय/कॉलेज कैम्पस में संचालित छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रावासी छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि कैम्पस छात्रावास में स्थानाभाव की स्थिति में यदि प्रशासन कैम्पस के बाहर कोई मकान किराये पर लेकर रहते हैं तो ऐसे एस.सी./ एस.टी. के विद्यार्थियों को भी छात्रावासी छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों के पक्ष में पर्याप्त छात्रावासी सुविधा उपलब्ध नहीं है। छात्रावास नियमों दी गई शिथिलता के कारण 5 या 5 से अधिक एस.सी. /एस.टी. के विद्यार्थियों के एक साथ किराये के मकान में रहने की सूचना प्रशासन को देने पर प्रशासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा सत्यापन के पश्चात् ऐसे छात्रों को छात्रावास मानकर छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। इसे सरलीकरण के लिए मकान मालिक की रिपोर्ट के आधार पर उस क्षेत्र के स्थानीय जन प्रतिनिधियों के प्रमाणीकरण से इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाना प्रभावी रहेगा।

(9) **अन्य कमियाँ एवं सुझाव** :

I महाविद्यालयों/विद्यालयों में पृथक–पृथक दो–तीन छात्रों की स्वीकृति निकाल दी जाती है। अतः सुझाव है कि विद्यालय/महाविद्यालय के आवेदित सभी छात्रों की स्वीकृति एक साथ निकाली जावे।

II छात्रवृत्ति दरों की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाई जावे। इससे छात्रवृत्ति एवं फीस की जानकारी का खुलासा होगा। अतः सुझाव है कि छात्रवृत्ति स्वीकृति की सूचना एवं छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि की जानकारी उपलब्ध करवायी जानी चाहिए एवं छात्रवृत्ति संबंधी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाई जानी चाहिए।

III आय प्रमाण–पत्र योजना के दिशा–निर्देशानुसार ही प्राप्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जावें।

IV लाभार्थियों ने अवगत कराया कि पात्रता हेतु निर्धारित अभिभावक की आय सीमा कम है। अतः इसमें वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

योजनान्तर्गत समूह के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उपयोगी योजना है। योजना के संचालन में निर्धारित मानदण्डों को अपना कर एवं अध्ययन में दिये गये सुझावों की क्रियान्विति कर इस योजना को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। छात्रवृत्ति वितरण में समानता, समयबद्धता लाकर यह योजना लक्षित वर्ग का भविष्य संवारने में कारगर सिद्ध होगी।

———